



भारत सरकार  
कर्मचारी चयन आयोग(पू.क्षे)  
कार्मक ,लोक शकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मक तथा प्रशक्षण वभाग  
निज़ाम पैलेस, प्रथम एमएसओ भवन(8वां तल),234/4,एजेसी बोस  
रोड ,कोल-700020  
(वेबसाइट:www.sscer.org)



सूचना  
वज्ञापन संख्या ईआर-01/2017

म सल संख्या: 11/1/2017-भर्ती

अंतिम ति थ: 07 जून,2017

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।"

इस विज्ञप्ति के पैरा 4 में उल्लिखित चयन पदों के लिए, इस विज्ञप्ति के पैरा 6 के अंतर्गत यथा-उल्लिखित राष्ट्रीयता/नागरिकता वाले पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । केवल वे आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें वेबसाइट <http://ssconline.nic.in> के माध्यम से सफलतापूर्वक भरा गया है तथा जिनके ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट को समस्त अपेक्षित दस्तावेजों सहित कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त कर लिया गया है । आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दो चरणों में है-(i) पंजीकरण भाग और (ii) आवेदन भाग ।

2. अभ्यर्थियों को पद के लिए आवेदन करने से पूर्व भर्ती विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए तथा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विज्ञप्ति में यथा-उल्लिखित समस्त पात्रता शर्तों जैसे आयु सीमा/ अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव/जाति/श्रेणी इत्यादि को पूरा करते हैं । वे अभ्यर्थी, जो पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी अभ्यर्थिता को किसी सूचना के बिना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रू किया जा सकता है । आवेदकों की अभ्यर्थिता, भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पूर्णतः अनंतिम होगी ।

3. आवेदन की प्रस्थिति से लेकर उपयोक्ता विभाग को चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन तक, जिसमें अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र भेजना भी शामिल हैं, इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचना कर्मचारी चयन आयोग पूर्वी क्षेत्र की वेबसाइट अर्थात् <http://www.sscer.org> पर उपलब्ध होगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम सूचना प्राप्त करने के लिए उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें ।

टिप्पणी : अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर भरने की सलाह भी दी जाती है क्योंकि आयोग द्वारा समस्त पत्राचार केवल ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से ही किया जाएगा ।

#### 4. पद का ववरण:

(i)	पद प्रवर्ग सं. : ईआर-10117 (पुनः वज्ञा पत)	
	(क) पद का नाम:	अनुसंधान अन्वेषक (वानिकी)
	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केन्द्रीय सेवा ,गुप 'बी',अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति:	02 (02-अनुसू चत जाति)
	(घ) वभाग:	पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है)
	(च) वेतनमान:	₹ 9300/- - ₹ 34800/-, ग्रेड वेतन-₹ 4200(पीबी-2)(6ठे वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता:	<p>i) कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय/ संस्थान से सांख्यिकी या अनुसंधान कार्यो अथवा वानिकी अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा वा णज्य (सांख्यिकी सहित) अथवा ग णत शास्त्र (सांख्यिकी सहित) अथवा कृ ष वज्ञान (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर डग्री अथवा वानिकी प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डप्लोमा ।</p> <p>ii) वानिकी कार्य अथवा कृ ष वज्ञान पर डाटा सहित डाटा के संग्रहण अथवा समेकन अथवा वश्लेषण का 01 वर्ष का अनुभव ।</p> <p>टिप्पण 1- अर्हताए अन्यथा सुअर्हित अभ्य र्थयो की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार वहाँ उनके लए जो कारण है उन्हे लेखबद्ध करके श थल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2- अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार अनुसू चत जातियो और अनुसू चत जनजातियो के अभ्य र्थयो की दशा में तब श थल की जा सकती है जब चयन के कसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है क उनके लए आर क्षत रिक्तियो को भरने के लए अपे क्षत अनुभव रखने वाले उन समुदायो के अभ्य र्थयो के अभ्य र्थयो के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने क संभावना नहीं है।</p>
	(ज) वांछनीय योग्यता:	शून्य
	(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ नई दिल्ली, लखनऊ, भूबनेश्वर, रांची
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृ ष /वानिकी डाटा का एकत्रण/समेकन/ वश्लेषण।</li> <li>2. व भन्न परियोजना प्रस्तावों की जांच और संवीक्षा ।</li> <li>3. मंत्रालय के क्षेत्रीय केन्द्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच और वश्लेषण ।</li> <li>4. व भन्न परियोजनाओं संबंधी त्रैमा सक/वा र्षक रेपोर्टों क जांच और संवीक्षा।</li> <li>5. व भन्न स्कीमों के अंतर्गत नि धयो का निगमन ।</li> <li>6. व भन्न परियोजनाओं की मोनितरिंग और मूल्यांकन।</li> <li>7. व भन्न रेपोर्टों/रिटर्न/संसदीय प्रश्नों के लए सामग्री की प्रस्तुति और वरिष्ठ अ धकारियो का दौरा।</li> <li>8. क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यो का प्रबंधन और मोनितरिंग।</li> <li>9. वन संरक्षण अ धनियम/पर्यावरण संरक्षण अ धनियम के संबंध में राज्यो/संघ शा सत क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कारवाई करना।</li> <li>10. प्र शक्षण परियोजना और द् वपक्षी और बहुमुखी अनुसंधान के परक्रामण, कार्यान्वयन और नियंत्रण।</li> </ol>

		11. आईएफएस अ धकारियों के प्र शक्षण कार्यक्रम का समन्वयन।
	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद केवल अस्थि दिव्यांग (ए.बां एवं ए.पै), श्रवण दिव्यांग ( ब एवं आं ब ) और दृष्टि दिव्यांग ( अं एवं अ.द.) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(ii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10217 (पुनः वज्ञा पत)	
	(क) पद का नाम:	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक
	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केन्द्रीय सेवा ,ग्रुप 'बी', अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति:	01 (01-अ. प.व)
	(घ) वभाग:	केन्द्रीय भेषज प्रयोगशाला, कोलकाता
	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष (आयु में छूट सरकारी निर्देशानुसार मान्य है)
	(च) वेतनमान:	₹ 9300/- ₹ 34800/-, ग्रेड वेतन-₹ 4600/-(पीबी-02)(छठे वेतन आयोग अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी भी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से जीवाणु वज्ञान या सूक्ष्म जीव वज्ञान या जैव रसायन वज्ञान या औषध निर्माण वज्ञान या शरीर वज्ञान या रसायन वज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य. टिप्पणी- अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार की जा सकती है।
	(ज) वांछनीय योग्यता:	शून्य
	(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	1- व भन्न जटिल औषधियों का वश्लेषण. 2- व भन्न औषधियों के मानक सन्दर्भों का मानकीकरण करना. 3- औषधियों का वश्लेषण से सम्बं धत शोध कार्य करना. 4- जब आवश्यक हो, वभागीय अध्यक्ष की मदद करना.
	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद केवल अस्थि दिव्यांग (ए.पै) और श्रवण दिव्यांग (आं.ब) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(iii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10317 (पुनः वज्ञा पत)	
	(क) पद का नाम:	वरिष्ठ रे डयो तकनी शयन
	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केन्द्रीय सेवा ,ग्रुप 'बी', अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति:	01 (01-अनुसू चत जनजाति)

	(घ) वभाग:	दीपस्तंभ और दीपपोत वभाग, पोत परिवहन मंत्रालय, कोलकाता
	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष (आयु में छूट सरकारी निर्देशानुसार मान्य है)
	(च) वेतनमान:	₹ 9300/- ₹ 34800/- ग्रेड वेतन ₹ 4200/- (पीबी-02) (छठे वेतन आयोग अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से इलैक्ट्रानिकी या वद्युत संचार इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य। या (i) कसी मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय से इलैक्ट्रानिकी या वद्युत संचार या रेडियो इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य, (ii) बेतार प्रेषकों, प्रापकों और एरियल तंत्रों जैसे उपस्कर के संस्थापन/ वद्युत/ बेतार के अनुरक्षण का तीन वर्ष का अनुभव।
<p>टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्या र्थ्यों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार श थल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2. अनुभव संबंधी (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के ववेकानुसार अनुसू चत जातियों और अनुसू चत जनजातियों के अभ्य र्थ्यों की दशा में तब श थल की जा सकती है जब चयन के कसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है क उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरने के लए अपे क्षत अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्य र्थ्यों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>		
	(ज) वांछनीय योग्यता:	शून्य
	(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	डी जी पी एस स्टेशन के कार्यों का निष्पादन और अनुरक्षण करना।
	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद केवल अस्थि दिव्यांग (ए.बां एवं ए.पै) एवं श्रवण दिव्यांग (ब एवं आं.ब) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(iv)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10417 (पुनः वज्ञा पत)	
	(क) पद का नाम:	दौत्य कला सहायक
	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित
	(ग) रिक्ति:	01 (01-अना- ओ.एच)
	(घ) वभाग:	रक्षा मंत्रालय, संयुक्त स चव का कार्यालय (प्र शक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अ धकारी का कार्यालय, नई दिल्ली।
	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष (आयु में छूट सरकारी निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान:	₹ 9300/- ₹ 34800/- ग्रेड वेतन- ₹ 4200/- (पीबी-2) (छठे वेतन आयोग के अनुसार)

(छ) अनिवार्य योग्यता:	<p>(क) (i) कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय से इतिहास में मास्टर डग्री या समतुल्य; और (ii) डग्री स्तर में एक अनिवार्य या वैकल्पिक वषय के रूप में संस्कृत;</p> <p>या</p> <p>(i) कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय से संस्कृत में मास्टर डग्री या समतुल्य; और</p> <p>(ii) डग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक वषय के रूप में इतिहास</p> <p>(ख) प्राचीन इतिहास से संबन्धित तीन वर्ष का अनुसंधान का अनुभव ।</p>
<p>टिप्पण 1: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधकारी के ववेकानुसार शथल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधकारी के ववेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शथल की जा सकती है जब चयन के कसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	
(ज) वांछनीय योग्यता:	शून्य
(झ) प्रारंभिक पदस्थापन:	अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ नई दिल्ली/दिल्ली ।
(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	सहायक निदेशक (हेराल्डी) के कामों में मदद करना। देश में वंशावली चन्हीं से संबन्धित कलाशास्त्र के इतिहास, संस्कृति और पौराणिक शास्त्रों का अनुसंधान करना।
(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लिए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद अस्थि दिव्यांग(ए.पै/ए.बां) और श्रवण दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पाया गया है।
<p>(v) पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10517</p>	
(क) पद का नाम:	फार्म प्रबन्धक
(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप बी, अराजपत्रित, अननुसचवीय
(ग) रिक्ति:	04 (04-अ. प.व)
(घ) वभाग:	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संघठन(पूर्वी क्षेत्र) कृष एवं कुषक कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन वभाग, नयापल्ली, भबनेश्वर -751012
(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष (आयु सीमा में छूट सरकारी निर्देशानुसार मान्य है)
(च) वेतनमान:	₹ 9300/- ₹ 34800/- ग्रेड वेतन ₹ 4200/- (पीबी) (6ठा वेतन आयोग अनुसार)
(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी भी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा वज्ञान और पशु पालन में स्नातक की डग्री
(ज) वांछनीय योग्यता:	कुक्कुट पालन में काम करने का 2 वर्षों का कार्यकरण अनुभव
(झ) प्रारंभिक पदस्थापन:	अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ भूबनेश्वर।

	(ज) कार्य की अपेक्षाएँ	फार्म की परिचालना, टिकाकरण, ड व कंग, वंग वाइं डंग, ट्राप्नेस्टिंग, हैचरी परिचालना, अंडा एवं फार्म उत्पादों की बिक्री, फार्म एवं भंडार की सभी चीजों का रेकॉर्ड रखना।
	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लिए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित, क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद शारीरिक दिव्यांग (वकलांग) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(vi)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10617	
	(क) पद का नाम:	वैज्ञानिक सहायक (मैकानिकल)
	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति:	03 (02-अना, 01-अ.ज.जा)
	(घ) वभाग:	राष्ट्रीय परीक्षण शाला, उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय, कोलकाता
	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष (आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान:	₹ 9300/- ₹ 34800/- ग्रेड वेतन-₹ 4600/-(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से भौतिकी में मास्टर डग्री ; अथवा सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से मेकैनिकल इंजिनियरिंग या धातु वज्ञान में इंजिनियरिंग स्नातक या प्रौद्यो गकी डग्री।
	(ज) वांछनीय योग्यता:	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की कसी मेकैनिकल परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।
	टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लिए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबंध धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।	
	(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/गाज़ियाबाद/गुवाहाटी/जयपुर।
	(ज) कार्य की अपेक्षाएँ	संबंधित प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लिए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबंधित प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लिए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के	ये पद शारीरिक दिव्यांग (वकलांग) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है।

	ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	
(vii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10717	
	(क) पद का नाम:	वैज्ञानिक सहायक (इलैक्ट्रिकल)
	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति:	04 (02-अना, 01-अ. प.व, 01-अ.जा)
	(घ) वभाग:	राष्ट्रीय परीक्षण शाला, उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय, कोलकाता
	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान:	₹ 9300/---₹ 34800/- ग्रेड वेतन-₹ 4600/-(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से भौतिकी में मास्टर डग्री अथवा सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग या इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंग या इलैक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजिनियरिंग में इंजिनियरी बैचलर या प्रौद्यो गकी बैचलर।
	(ज) वांछनीय योग्यता:	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की कसी प्रयोगशाला में उन्नयन इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स मापन का दो वर्ष का अनुभव।
टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।		
टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लिए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबंध धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।		
	(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता/ मुंबई/ चेन्नई/ गाज़ियाबाद/ गुवाहाटी/जयपुर।
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	संबंधत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लिए परीक्षण पद्धतियों का विकास संबंधी कार्य, संबंधत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
	(ट) शा.दि .उम्मीदवारों के लिए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया	ये पद शारीरिक दिव्यांग ( वकलांग) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है।

	गया है।]	
(viii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10817	
	(क) पद का नाम:	वैज्ञानिक सहायक (एनडीटी) (गैर वध्वंशक)
	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित
	(ग) रिक्ति:	01 (01-अना)
	(घ) वभाग:	राष्ट्रीय परीक्षण शाला , उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय, कोलकाता
	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान:	₹ 9300/- ₹ 34800/- ग्रेड वेतन-₹ 4600/-(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से भौतिकी में मास्टर डग्री अथवा सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग या मैकेनिकल इंजिनियरी या धातु वज्ञान में इंजिनियरी स्नातक या प्रौद्यो गकी स्नातक ।
	(ज) वांछनीय योग्यता:	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के कसी गैर-वध्वसंक परीक्षण प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव।
	<p>टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबंध त अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।</p>	
	(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता/ मुंबई/ चेन्नई/ गाज़ियाबाद/ गुवाहाटी/जयपुर।
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	संबंधत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबंधत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद शारीरिक दिव्यांग ( वकलांग) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(ix)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-10917	
	(क) पद का नाम:	वैज्ञानिक सहायक (रसायन)
	(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित



(ग) रिक्ति:	09 (02-अना, 05-अ. प.व, 02-अ.जा)
(घ) वभाग:	राष्ट्रीय परीक्षण शाला , उपभोक्ता मामले वभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय, कोलकाता
(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
(च) वेतनमान:	₹ 9300/-₹ 34800/- ग्रेड वेतन-₹ 4600/-(पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय से रसायन शास्त्र अथवा सूक्ष्म जै वकी में मास्टर डग्री  अथवा सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित कसी मान्यता-प्राप्त वश्व वद्यालय अथवा संस्थान से रसायन प्रौद्यो गकी अथवा के मकल इंजिनियरी में इंजिनियरी डग्री या प्रौद्यो गकी डग्री
(ज) वांछनीय योग्यता:	सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की वश्लेषणकर्ता अथवा रसायन परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।
<p>टिप्पण-1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण-2: यदि चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो क अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपे क्षत अनुभव है और उनके लए आर क्षत रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के ववेका धकार पर अनुभव से संबं धत अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।</p>	
(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/गाज़ियाबाद/गुवाहाटी/जयपुर
(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	संबं धत प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण व मूल्यांकन तथा इन वस्तुओं के लए परीक्षण पद्धतियों का वकास संबंधी कार्य, संबं धत प्रयोगशाला के उपकरणों का कै लब्रेशन व अनुरक्षण।
(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद अस्थि दिव्यांग (एक पाँव) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।
(x)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-11017
(क) पद का नाम:	हस्त शल्प संवर्धन अ धकारी
(ख) वर्गीकरण:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ख' , अराजपत्रित, अननुस चवीय
(ग) रिक्ति:	09 (05-अना, 02- अ. प.व, 02- अ.जा)
(घ) वभाग:	कार्यालय वकास आयुक्त (हस्त शल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
(च) वेतनमान:	₹ 9300/-₹ 34800/- ग्रेड वेतन-₹ 4200/-(पीबी-2) (6 ठा वेतन आयोग के

		अनुसार)
(छ) अनिवार्य योग्यता:	कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय या संस्थान से चार वर्षों की अव ध का डिग्री या ल लत कला (फैशन या वस्त्र या वस्त्र उत्पादन ) में स्नातक डिग्री जिसमे हस्त शल्प या कुटीर या लघु स्तर उद्योग के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव हो या कसी मान्यताप्राप्त वश्व वद्यालय या बोर्ड या संस्थान से तीन वर्षों की अव ध का ल लत कला (फैशन या वस्त्र या वस्त्र डिग्री ) में डिप्लोमा के साथ हस्त शल्प या कुटीर या लघु स्तर उद्योग के क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव ।	
(ज) वांछनीय योग्यता:	शून्य	
टिप्पणी 1: कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्रा धकारी के ववेकानुसार , ल खत में रेकॉर्ड कए गए कारणों के लए अ धक अर्हता प्राप्त अभ्य र्थियों के मामले में , अर्हता के संबंध में छूट है। टिप्पणी 2: कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्रा धकारी के ववेकानुसार ल खत में रेकॉर्ड कए गए कारणों के लए , अनुसू चत जाती या अनुसू चत जनजाति के अभ्य र्थियों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हता में छूट है यदि , चयन के कसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्रा धकारी का यह मत हो सकता है क वांछित अनुभव के साथ पर्याप्त अभ्य र्थियों की संख्या उनके लए आर क्षत पदों को भरे जाने हेतु उपलब्ध नहीं है।		
(झ) प्रारं भक पदस्थापन:	अ खल भारतीय सेवा दायित्व के साथ बुरद्वान(प.ब), सलीगुडी(प.ब) , सम्बलपुर(उडीसा), भूबनेश्वर(उडीसा), रांची(झारखंड)	
(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	हस्त शल्प के वकास तथा प्राथ मक आकड़ों को संक लत करने से संबन्धित फील्ड कार्य । हस्त शल्प के वकास के लए वत्तीय सहायता हेतु योजनाओं को बनाने का काम।	
(ट) शा.दि .उम्मीदवारों के लए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिवयांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद शारीरिक दिव्यांग ( वकलांग) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त नहीं पाया गया है।	
(xi)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-11117	
(क) पद का नाम:	उप रेंजर	
(ख) वर्गीकरण:	समूह “ग” गैर- तकनीकी, अराजपत्रित, अननुस चवीय, गैर तकनीकी	
(ग) रिक्ति:	09 (04- अनार क्षत, 03-अ. प.व, 01-अ.जा, 01- अ.ज.जा)	
(घ) वभाग:	भारतीय वन सर्वेक्षण, पूर्वी अंचल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन एवं वन्य जीव वभाग, कोलकाता।	
(ङ) उम्र:	18-27वर्ष(आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)	
(च) वेतनमान:	₹ 5200/--₹ 20200/- ग्रेड वेतन-₹ 2400/-(पीबी-01) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)	
(छ) अनिवार्य योग्यता:	(i) कसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या वश्व वधालय से बारहवीं कक्षा पास या	

		समतुल्य ; (ii) वन सर्वेक्षण या कार्य योजना संगठन या राज्य वन वभाग में वन संसाधन सर्वेक्षण कार्य में दो वर्ष का अनुभव ।
	(ज) वांछनीय योग्यता:	वन सर्वेक्षण या मान चित्र के कार्य में या कार्यकरण योजना संबंधी कार्य में अनुभव ।
	(झ) प्रारंभिक पदस्थापन:	अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता।
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ	जी. पी. एस. प्रचालन तथा अन्य प्रचालन यंत्रों की कॉम्पा संग करना तथा वन / वाह्य वन वृक्ष (ग्रामीण तथा शहरी) इन्वेंटरी कार्यों के व भन्न आँकड़ा संचयन का अनुवीक्षण करना ।
	(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लिए अनुदेश: [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]	ये पद शारीरिक दिव्यांग ( वकलांग) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है।
(xii)	पद प्रवर्ग सं.: ईआर-11217 (पुनः वजा पत)	
	(क) पद का नाम:	कनिष्ठ अ भयंता(क्वा लटी आश्वासन)
	शास्त्र :	धातु वज्ञान और म लट्टी वस्फोटक
	उप-शास्त्र :	धातु वज्ञान
	(ख) वर्गीकरण:	समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुस चवीय
	(ग) रिक्ति:	01(अना- एचएच)
	(घ) वभाग:	क्वा लटी आश्वासन महानिदेशालय,रक्षा उत्पादन वभाग, रक्षा मंत्रालय
	(ङ) उम्र:	18-30 वर्ष( आयु में छूट निर्देशानुसार मान्य है।)
	(च) वेतनमान:	9300/-34800/- , ग्रेड वेतन-4200/- (पीबी-2) (6ठा वेतन आयोग के अनुसार)
	(छ) अनिवार्य योग्यता:	(i) वज्ञान में स्नातक व स्नातक स्तर पर वज्ञान सहित भौतिक, रसायन वज्ञान या मान्यता प्राप्त वश्व वद्यालय या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डप्लोमा। (ii) मान्यता प्राप्त संगठन या उपक्रम से गुणता आश्वासन/उत्पादन/ वकास/प्रयोगशाला के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
	(ज) वांछनीय योग्यता:	शून्य
	(झ) प्रारंभिक पदस्थापन:	अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ मेडक(तेलंगाना), दिल्ली, अंबाझरी(एमएस),कटनी(एमपी),राउरकेला(ओ डशा),त्रिची(टीएन), मुरादनगर(यूपी),कानपुर(यूपी),इच्छापुर(डबल्यूबी),कोलकाता(डबल्यूबी)
	(ञ) कार्य की अपेक्षाएँ :	1. सेम्पलों का उपयुक्त पंजीकरण। रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित गति व धर्यों में जेटीओ की सहायता करना। 2. सेम्पल का परीक्षण करना और निर्धारित समय में इसे तैयार करना।

		<p>3. आँकड़ा शीट तैयार करना/खरिष्ट का मर्मकों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपस्कर का संचालन करना।</p> <p>4. प्रयोगशाला एवं कार्यशाला में उपस्करों/मशीनों का रख-रखाव करना।</p>
	<p>(ट) शा.दि. उम्मीदवारों के लए अनुदेशः [स्वीकार्य दिव्यांगता के ब्योरे सहित , क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लए उपयुक्त/अनुपयुक्त पाया गया है।]</p>	<p>ये पद केवल अस्थि दिव्यांग (ए.बां एवं ए.पै) और श्रवण दिव्यांग (ब एवं आं ब) उम्मीदवारों के लए उपयुक्त पाया गया है।</p>

**टिप्पणी-I :** इन रिक्तियों को संबंधित मांगकर्ता कार्यालयों द्वारा भेजी गई मांग के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विद्वापित किया गया है । मांगकर्ता कार्यालयों द्वारा रिक्तियां वापस लेने/रिक्तियों में परिवर्तन के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा ।

**टिप्पणी-II :** वे अभ्यर्थी, जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए तथा प्रत्येक पद के परीक्षा शुल्क का भुगतान करना चाहिए । वे प्रत्येक पद के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी को भी, नीचे पैरा 8 में यथा-उल्लिखित क्षेत्रीय कार्यालय को अवश्य प्रस्तुत करें ।

#### 5. प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ :

क.च.आ. : कर्मचारी चयन आयोग, मं: मंत्रालय, वि: विभाग, का: कार्यालय, आयु: आयु-सीमा, अ.यो. : अनिवार्य योग्यता, वां.यो. : वांछनीय योग्यता, प्रा.तै.: प्रारंभिक तैनाती, अ.भा.से.दा. : अखिल भारतीय सेवा दायित्व, का.अ.: कार्य अपेक्षाएं, अना : अनारक्षित, सा: सामान्य, अपिव : अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा : अनुसूचित जाति, अ.ज.जा : अनुसूचित जनजाति, भू.पू.सै : भूतपूर्व सैनिक, शा.दि. : शारीरिक दिव्यांग, अ.दि. : अस्थि दिव्यांग, श्र.दि. : श्रवण दिव्यांग, दृ.दि. : दृष्टि दिव्यांग, ए.बां: एक बांह प्रभावित, ए.पै.: एक पैर प्रभावित, दो.पै.: दोनो पैर प्रभावित, आं.ब.: आंशिक बधिर, अ.दृ.: अल्प दृष्टि, के.स.सि.क. : केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारी ल.न.: लागू नहीं, अ.से.आ: अन्य सेवारत आवेदक ।

#### 6. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी या तो :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

6.1 बशर्ते कि ऊपरीक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।

6.2 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के और अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करने के बाद ही उसे दिया जाएगा ।

7. परीक्षा शुल्क, शुल्क के भुगतान से छूट तथा शुल्क के भुगतान का तरीका ।

क. परीक्षा शुल्क

"भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग/सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड" अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से 100रु. (मात्र सौ रूपए)

किसी अन्य तरीके से भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा । भुगतान किए गए शुल्क को किन्हीं भी परिस्थितियों में लौटाया नहीं जाएगा । आवेदन किए गए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का अलग-अलग भुगतान किया जाए ।

ख. शुल्क के भुगतान से छूट

सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई है ।

8. ऑनलाइन आवेदन तथा शुल्क का भुगतान कैसे करें :

i) अभ्यर्थियों को पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा ।

ii) अभ्यर्थी नोट करें कि केवल <http://ssconline.nic.in> पर भरे गए ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा । किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

iii) अभ्यर्थी किसी पद के लिए केवल एक बार आवेदन करें । किसी एक पद के लिए अनेक आवेदनों की स्थिति में, सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

iv) ऑनलाइन आवेदनों को भरने की कार्यविधि अनुबंध-1(क) में दी गई है ।

v) आवेदन प्रपत्र को ऑनलाइन भरने के पश्चात तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद, अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए तथा उस पर उसी फोटोग्राफ की प्रति चिपकानी चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन प्रपत्र को भरते समय किया गया था और इसके साथ आयु, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, जहां इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी(अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसे- उसी प्रारूप में जैसा कि विज्ञप्ति में दिया गया है ) के समर्थन में प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें और उसे नीचे उल्लिखित पते पर क्षेत्रीय निदेशक को भेज दें ताकि यह निर्धारित अंतिम तिथि से दस दिनों के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय पहुँच जाए ।

क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्षे.),

कर्मचारी चयन आयोग

पूर्वी क्षेत्र

निजाम पैलेस, प्रथम एम.एस.ओ. भवन (8वां तल)

234A, ए जे सी बोस रोड,

कोलकाता- 700020

vi) कंप्यूटर आधारित मोड परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदनों में दी गई सूचना को आयोग द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को अस्वीकार करने के विरुद्ध किसी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना भरी है।

vii) **महत्वपूर्ण :** अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर भरने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आयोग द्वारा समस्त पत्राचार केवल ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से ही किया जाएगा।

9. ऑनलाइन आवेदन भाग को भरने की अंतिम तिथि 07.06.2017 (5.00 बजे अपराह्न) है। ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि 07.06.2017 (5.00 बजे अपराह्न) है।

10. अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि :

- (i) प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा का इस विज्ञप्ति के पैरा-4 में उल्लेख किया गया है।
- (ii) आयु और अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि इस आवेदन अर्थात् 07.06.2017 के पंजीकरण भाग/आवेदन भाग को भरने की अंतिम तिथि होगी।
- (iii) पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके पास अनुभव, जहां कही इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है, सहित अनिवार्य योग्यता है और वे ऊपर पैरा 10(ii) में उल्लिखित निर्णायक तारीख को आयु सीमा को भी पूरा करते हैं।
- (iv) उन पदों के लिए जहां एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र/विधा में अनुभव का एक अनिवार्य योग्यता के रूप में उल्लेख किया गया है, आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त उस क्षेत्र/विधा में अनुभव होने के अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (v) यदि अभ्यर्थी दावा करते हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं, विहित अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष हैं तो समकक्षता के समर्थन में भारत सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी जहां से उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी, द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों(संख्या और दिनांक सहित आदेश/ पत्र) को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (vi) ऐसे पद(पदों) के संबंध में, जहां अनिवार्य योग्यता के रूप में संगत भाषा में प्रवीणता अपेक्षित है, अभ्यर्थी ने उस भाषा का मैट्रिक स्तर तक अवश्य अध्ययन किया हो और यदि संगत भाषा मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है तो उक्त भाषा आवेदक की मातृभाषा अवश्य होनी चाहिए।

**टिप्पणी:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री दूरस्थ शिक्षा परिषद भारत सरकार से मान्यताप्राप्त होनी चाहिए। तदनुसार जब तक कि यह डिग्री उस अवधि के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिसमें कि अभ्यर्थी ने संगत योग्यता प्राप्त की है, तो उसे शैक्षणिक योग्यता के प्रयोजन से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. आयु-सीमा और ऊपरी आयु-सीमा में छूट :

आयु-सीमा का पैरा-4 में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेख किया गया है।

**(क) आयु का प्रमाण**

आयोग द्वारा आयु के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

**(ख) ऊपरी आयु-सीमा में छूट:**

आवेदकों की पात्र श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट नीचे दी गई है :

ऊपरी आयु-सीमा में छूट केवल तभी स्वीकार्य है जब आवेदक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के कॉलम संख्या 12 में उसका दावा करते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के कॉलम संख्या 12.1 में श्रेणी कोड को भी सही तरीके से भरते हैं।

‘श्रेणी कोड’, ‘श्रेणी’ तथा इस विज्ञप्ति के पैरा 10 में यथा-उल्लिखित ‘ऊपरी आयु-सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट’ नीचे दी गई है :-

गणना की तिथि को आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी-कोड : कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पदों के लिए		
01	अजा	05 वर्ष
02	अजजा	05 वर्ष
03	अ पि व	03 वर्ष
04	शा.दि.	10 वर्ष
05	शा.दि. (अपिव)	13 वर्ष
06	शा.दि. (अजजा)	15 वर्ष
07	शा.दि. (अजजा)	15 वर्ष
08	भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित/सामान्य)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
09	भूतपूर्व सैनिक (अपिव)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)

10	भूतपूर्व सैनिक (अजा)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
11	भूतपूर्व सैनिक (अजजा)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
<b>समूह 'ख' पदों के लिए</b>		
12	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	5वर्ष
13	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	8वर्ष (5+3) वर्ष
14	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
15	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
<b>समूह 'ग' पदों के लिए</b>		
16	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40वर्ष की आयु तक
17	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	43वर्ष की आयु तक
18	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष की आयु तक
19	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष की आयु तक
<b>समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए</b>		
20	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (सामान्य/अनारक्षित)।	05 वर्ष
21	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अपिव)।	08 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अजा)।	10 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अजजा)।	10 वर्ष
<b>समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए</b>		
24	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अनारक्षित/सामान्य)	35 वर्ष की आयु तक
25	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अपिव)	38 वर्ष की आयु तक
26	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा)	40 वर्ष की आयु तक
27	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजजा)	40 वर्ष की आयु तक



28	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (सामान्य/अनारक्षित)	5वर्ष
29	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (अपिव)	8वर्ष (5+3) वर्ष
30	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (अजा)	10 वर्ष(5+5) वर्ष
31	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (अजजा)	10 वर्ष(5+5) वर्ष
32	अन्य	भारत सरकार के समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार ।

**टिप्पणी 1:** आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में स्वीकार्य है । आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित श्रेणी के पद के लिए आवेदन करते हैं, वें आयु में छूट के हकदार नहीं हैं ।

**टिप्पणी 2:** अभ्यर्थी ऊपरी आयु सीमा में छूट लेने के लिए अपनी पात्रता की सावधानीपूर्वक जांच करेंगे। यदि वे पात्र हैं तो उन्हें, अपने लिए यथा-प्रयोज्य सही आयु छूट कोड भरने की आवश्यकता होगी । आवेदन प्रपत्र में आवेदक द्वारा गलत आयु छूट कोड भरने की स्थिति में, आवेदन के स्तर पर प्रदान की गई आयु छूट वापस ले ली जाएगी तथा आवेदन किए गए किसी विशेष पद के लिए निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत न आने के कारण, उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

12. **शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग के लिए शर्तें**

क. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अजा/अजजा) आवेदकों के लिए**

- i. शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे अजा/अजजा आवेदकों को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-।।) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-।) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उनकी उप जातियाँ/समुदाय, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

ख. **अन्य पिछड़े वर्ग(अपिव) आवेदकों के लिए**

- i. अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक जो भारत सरकार के समय-समय पर यथा-संशोधित स्थायी अनुदेशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं हैं और आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-।।।) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा । अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है । इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी । अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती । अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/ अपिव/भूपूँसै/शा.दि.(शा.दि.व्यक्ति) दर्ज का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित किया जा सकता है ।

- ii. इस विज्ञप्ति के पैरा 9 में यथा-उल्लिखित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को, अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अधीन आवेदकों की गैर-क्रीमी लेयर प्रस्थिति की गणना की तारीख के रूप में माना जाएगा ।

ग. **शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) (दिव्यांग व्यक्तियों)(अस्थि दिव्यांग/श्रवण दिव्यांग/दृष्टि दिव्यांग) आवेदकों के लिए**  
:

क्या यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया है अथवा नहीं तथा दिव्यांगता की स्वीकार्य प्रकृति का उल्लेख पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने किया गया है। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल उन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए, जिन पदों के लिए वे पात्र हैं।

- i. केवल वे शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता 40% अथवा अधिक है, **शुल्क में रियायत, आयु में छूट, आरक्षण इत्यादि के लिए पात्र हैं।**
- ii. उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट-आउट के साथ, विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप [परिशिष्ट-VI(प्रपत्र-II)]/( प्रपत्र-III)/ प्रपत्र-IV के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) प्रस्थिति के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ. **शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेश।**

क. चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा। **एक आँख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी** जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के सभी अभ्यर्थियों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी **प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे**। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा। **चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.)** अभ्यर्थी तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए **प्रलिपिक** की सहायता का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि आवेदन पत्र को भरते समय आयोग के समक्ष ऐसा अनुरोध किया गया हो। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को दृ.दि. अभ्यर्थियों के समुत्तल्य प्रलिपिक एवं अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक ब्रेल में मुहैया नहीं कराए जाएंगे। दृष्टिहीन तथा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थियों सहित दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं अपना **टेलर फ्रेम और कागज के साथ ब्रेल स्लेट** ला सकते हैं। परीक्षा परिसर के अन्दर दृ.दि./ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ किसी **परिचर** को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) **अतिरिक्त समय का प्रावधान :** दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को आयोग के निर्णयानुसार परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

ङ. **भूतपूर्व सैनिक आवेदकों के लिए विशेष अनुदेश।**

(i) शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) से प्राप्त प्रारूप(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-V) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा और प्रारूप[इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- V(क)] के अनुसार एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) आरक्षण इत्यादि, के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बर्खास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूस का दर्जा पहले ही

हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित **आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

**(च) भूतपूर्व सैनिक :** भूपूसे से **आशय** उस व्यक्ति से है-

- (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
  - (क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
  - (ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
  - (ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
- (ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा
- (iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है; अथवा
- (iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा
- (v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा
- (vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

**(छ) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।**

(i) मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ) जिसने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में **कम से कम 15 वर्ष की** सेवा की हो, को समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा । अतः ऐसे गैर स्नातक भूपूसे, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-8 में यथा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, उन्हें मानद स्नातक आवेदक नहीं माना जाएगा ।

(ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.4.92 के का.ज्ञा.संख्या 36034/6/90-स्था.एससीटी के अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिक आवेदक, जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर पहले से ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे । वे भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य शुल्क में रियायत के लिए भी पात्र नहीं होंगे । ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को इस भर्ती के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा ।

तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) के अनुसार, भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है तो वह किसी उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण के लाभ को प्राप्त कर सकता है। तथापि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, कोई भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करता है उसे विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरों के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा पत्र/वचन पत्र देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती आधार पर भरी जाती हैं तथा जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

(iii) सेवा लिपिक, जो अपनी कलर सेवा के अंतिम वर्ष में है, वे शुल्क के भुगतान से छूट के पात्र नहीं है।

**(ज) केन्द्रीय सरकार सिविल कर्मचारी(सीजीसीई)आवेदकों के लिए अनुदेश**

- (i) केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा-उल्लिखित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को नियमित आधार(और तदर्थ आधार पर न हो) पर कम से कम 03 वर्ष की निरन्तर सेवा प्रदान की हो और उसे भारत सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में सिविल पद धारण करते हुए केन्द्रीय सरकार की सेवा में जब तक कार्यरत रहना चाहिए जब तक कि अभ्यर्थी को उस कार्यालय/विभाग से नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता, जहां अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से संस्तुति की गई है।
- (ii) आयु में छूट प्राप्त करने के लाभ का दावा करने के लिए उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) से प्रारूप (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV(क)) भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयु में छूट प्राप्त करने के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी पद के लिए आवेदन कर रहे केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट आउट के साथ एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- IV (क)) कि उन्होंने अपने कार्यालय में सूचित कर दिया है तथा साथ ही वे दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को भर्ती प्रक्रिया के उसी स्तर पर ही अथवा किसी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

अभ्यर्थी नोट करें कि यदि परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की अनुमति रोकने के संबंध में आयोग द्वारा उनके नियोक्ता से कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

**13. दस्तावेजों का सत्यापन**

- क. आवेदकों द्वारा अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में, अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्राप्तांकों का प्रतिशत, आयु का प्रमाण, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी श्रेणी का प्रमाण[अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै-विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप में] के बारे में, अपने आवेदनों के प्रिंट आउट के साथ अपने समस्त प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित सुपाठ्य प्रतियां अवश्य संलग्न की जाए, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर अथवा भर्ती प्रक्रिया के किसी स्तर पर अस्वीकार की जा सकती है।
- ख. वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में समस्त मूल प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की स्थिति में हों, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को उसी स्तर पर अथवा किसी उत्तरवर्ती स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
- ग. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/ अपिव/ शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै/सी.जी.सी.ई. दर्जे का दावा करते हैं अथवा इन श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आरक्षण/आयु में छूट

का दावा करने के लिए अथवा अनिवार्य योग्यता/ अनुभव/आयु के प्रमाण के समर्थन में जाली प्रमाणपत्र/ दस्तावेज/ अंकतालिकाएं प्रस्तुत करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी तौर पर वारित किया जा सकता है।

14. आवेदन-पत्र को अस्वीकार/निरस्त करने के कारण :

निम्नलिखित सभी या किसी भी स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदन-पत्र/ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सरसरी-तौर पर निरस्त/अस्वीकार की जा सकती है :-

- i. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में,
- ii. हस्ताक्षरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर, (आवेदन-प्रपत्र के प्रिंट आउट और अन्य दस्तावेजों में किए गए सभी हस्ताक्षर(पूर्ण,अल्प नहीं) अनिवार्य रूप से एक जैसे होने चाहिए),
- iii. आवेदन-पत्र में साफ और स्पष्ट फोटोग्राफ न होने की स्थिति में,
- iv. परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में, यदि कोई छूट न प्रदान की गई हो, तो
- v. अनुदेशों के अनुसार फीस का भुगतान न करने पर
- vi. कम/अधिक आयु वाले अभ्यर्थी,
- vii. शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, आयु प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र [अजा/अजजा/अपिब/शा.दि.(पीडब्ल्यूडी)/भूपूसै] के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के समर्थन में आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित सुपाठ्य प्रतियों का अग्रेषण न करने पर,
- viii. आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/श्रेणी स्थिति न होने की स्थिति में,
- ix. विषयगत तथ्यों के बारे में गलत सूचना या मिथ्या विवरण देना या छिपाना
- x. संगत दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों सहित मुद्रित आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना
- xi. परीक्षा भवन/हाल में मोबाइल फोन/सहायक उपसाधनों को ले जाना,
- xii. कोई अन्य अनियमितता बरतना।
- xiii. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना।

**टिप्पणी :।** अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर/हाल के अन्दर मोबाइल फोन/किसी भी अन्य सम्प्रेषण यंत्रों को लाने की अनुमति नहीं होगी और इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध चलाए जाने वाली अपराधिक कार्यवाई पर पूर्वाग्रह रखे बगैर उसे कर्मचारी चयन आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

**टिप्पणी :।।** अभ्यर्थी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा कोई अन्य वस्तु जैसे पुस्तकें, नोटशीट, खुली शीट, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि को परीक्षा हाल में न लाएं।

15. चयन प्रक्रियाएं :-

- क. सरकार द्वारा जूनियर स्तर के पदों के लिए होने वाले साक्षात्कारों को हटा लिया गया है। तदनुसार, चयन पदों की भर्ती कंप्यूटरीकृत आधारित वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्प प्रश्न वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।
- ख. आवेदन पत्र पर अभ्यर्थियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए सूची-बद्ध चयनित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को 1:50 के अनुपात में चयनित किया जाएगा अर्थात् प्रत्येक रिक्ति के लिए, पात्र अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के आधार पर, 50 अभ्यर्थी होंगे। अभ्यर्थियों को पांच के गुणकों में अंकों की प्रतिशत में उपयुक्त कट-ऑफ बनाते हुए शार्टलिस्ट किया जाएगा। पांच के गुणकों में, कट-ऑफ प्रयोग करने के मानदण्ड से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की संख्या कुछ अधिक या कुछ कम भी हो सकती है।

- ग. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का सूची बद्ध चयन करने के प्रयोजन से, आयोग विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंड का पालन करेगा और अंतिम वर्ष की अंकतालिका विवरण में दर्शाए गए अनुसार अंकों के प्रतिशत को आकलन में लेगा। आयोग, अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों/ग्रजुएशन के प्रत्येक वर्ष में प्राप्त किए गए अंकों को जमा करके अंकों के प्रतिशत को आकलन करने की जिम्मेवारी नहीं लेगा, इसके बजाए अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शाए गए अनुसार अंकों के प्रतिशत/सीजीपीए को आकलन में लेगा।
- घ. जहां पर अंकों के संगत प्रतिशत को दर्शाए बिना, अभ्यर्थी की मेरिट सीजीपीए में अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शायी गई हैं तो आयोग, यदि किसी भी संगत प्रतिशत का आकलन करना हो, प्रमाण-पत्र में विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दर्शाए मानदंड का अनुकरण करेगा। अन्य सभी मामलों में आयोग(x)9.5 से गुणा करके सीजीपीए(जैसा कि अंतिम वर्ष की अंकतालिका विवरण में दर्शाया गया है) के परिवर्तन(कनवर्जन) सूत्र का प्रयोग करेगा।
- ङ. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को शार्टलिस्टिंग करने के लिए अपनाया गया मानदंड अंतिम होगा। इस प्रकार के शार्टलिस्टिंग के मानदंड के विरुद्ध कोई भी अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- च. अभ्यर्थी द्वारा उनके आवेदन पत्र में दी गई सूचना को आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् मूल दस्तावेज के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना गलत है तो उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थिता की ऐसी निरस्तीकरण के बारे में किसी भी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र में सही सूचना भरी है।

## 16. परीक्षा की प्रणाली

ऐसे पदों, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकलूशन, उच्चतर माध्यमिक तथा स्नातक तथा ऊपरी स्तर तक की हैं, के लिए अलग से वस्तुनिष्ठ/बहु-विकल्प प्रश्नों वाले कंप्यूटर आधारित मोड में परीक्षा होगी। प्रश्नों के विषय, विषय-वार प्रश्नों के अंक तथा संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

विषय	प्रश्नों की संख्या	अतिरिक्त अंक	कुल अवधि/समय
सामान्य बुद्धिमत्ता	25 प्रश्न	50	60 मिनट(कुल)
अंग्रेजी भाषा (मूलभूत ज्ञान)	25 प्रश्न	50	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित तथा अस्थि विकलांग जिसमें लिखने वाले हाथ में विकृति हो(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 12(ग) तथा (घ) देखें) के लिए 80 मिनट
संख्यात्मक अभिरुचि (मूलभूत अंकगणितीय कौशल)	25 प्रश्न	50	
सामान्य जानकारी	25 प्रश्न	50	

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की कटौती की जाएगी।

परीक्षा के पश्चात् उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने टेस्ट फॉर्म के मुताबिक उत्तर कुंजी को देख सकते हैं तथा प्रति उत्तर के लिए 100/-रु. का भुगतान कर उत्तर कुंजी अपलोड करने के बाद तीन(3) दिन के भीतर ऑनलाइन रूप रेखा में अभ्यावेदन यदि कुछ हो तो जमा रक सकते हैं। उत्तर कुंजी को अपलोड करते समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर कुंजी के संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की संवीक्षा की जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

- (क) जहाँ अनिवार्य योग्यता में कौशल परीक्षा जैसे टंकण/डाटा एंट्री/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा इत्यादि विहित हैं , वहां ये आयोजित की जाएगी जो अर्हक स्वरूप की होंगी।
- (ख) अंतिम योग्यता सूची कम्प्यूटर आधारित मोड परीक्षा में निष्पादन के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (ग) बराबरी (टाई) मामलों का निपटान

जहां दो अथवा अधिक अभ्यर्थी कम्प्यूटर आधारित मोड परीक्षा में एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा टाई मामलों का निपटान किया जाएगा:

- i) जन्म तिथि को देखकर अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
- ii) अभ्यर्थी के प्रथम नाम के वर्णानुक्रम पर विचार करते हुए।

**महत्वपूर्ण टिप्पणी:** चयन पदों के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा चयनित शहरों/केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएगी तथा आयोग परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी निर्दिष्ट केन्द्र पर बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध/अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

### नियुक्ति के लिए संस्तुति

- i. आयोग को अभ्यर्थी की प्रत्येक श्रेणी (अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/ शा.दि. (शा.दि.व्यक्ति)/भूतपू.सै./ सामान्य (अना) की प्रत्येक श्रेणी के लिए, जहाँ भी लागू हो कम्प्यूटर आधारित मोड बहुविकल्प परीक्षा/कौशल परीक्षा में पृथक रूप से न्यूनतम अर्हक अंक नियत करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।
- ii. परीक्षा तथा कौशल परीक्षा के पश्चात् जहां भी लागू हो आयोग कम्प्यूटर आधारित मोड परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। आयोग ने कम्प्यूटर आधारित मोड परीक्षा में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक निर्धारित किए हैं। योग्यता सूची की स्थिति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक प्राप्ति के अध्यधीन नियुक्ति के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या जितने अभ्यर्थियों को संस्तुत किया जाएगा।
- iii. अजा.अजजा तथा अपिव श्रेणी के उन अभ्यर्थियों जिनका शिथिल मानकों(अर्थात् आयु सीमा और शॉर्ट लिस्टिंग मापदंड में छूट) के बिना अपनी योग्यता से चयन होता है उन्हें रिक्तियों की आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्ति, यदि कोई विज्ञापित की गई है तो उसे योग्यता सूची में कम स्थिति वाले पात्र अजा. अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।
- iv. शा.दि(दिव्यांग व्यक्ति) अभ्यर्थी जो इस प्रकार की श्रेणियों के लिए नियत चयन और शार्टलिस्टिंग मानदंड में छूट लिए बिना अपनी संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए नियत मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें अनारक्षित रिक्ति के प्रति संस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि वह पद दिव्यांगता की उस विशेष श्रेणी के व्यक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

- v. भूतपूर्व सैनिक अथवा शा.दि.(दिव्यांग व्यक्ति) श्रेणी का अभ्यर्थी जो शिथिल मानक के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है उसके नाम पर केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।
- vi. जहाँ तक कि भूतपूर्व-सैनिक/शा.दि. अभ्यर्थी से संबंधित मामलों का संबंध है आरक्षित अथवा अनारक्षित पदों के लिए आयु में छूट अनुज्ञेय है, तथा ऐसी छूट को आयु से संबंधित शिथिल मानदंड नहीं कहा जा सकता है।
- vii. परीक्षा में सफलता ही नियुक्ति के लिए अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि सरकार ऐसी जांच/दस्तावेज सत्यापन, जो आवश्यक समझी जाए, के पश्चात् संतुष्ट न हो कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है।
17. नौकरी के अवसरों में बेरोजगारों की अधिक सुलभता की सरकारी पहल के अनुसरण में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अपनी-अपनी वेबसाइट पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उन गैर-चयनित अभ्यर्थियों का विवरण अपलोड करेंगे, जो अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों सहित अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंकों को प्राप्त कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि अन्य निजी/सार्वजनिक एजेंसी, यदि वे चाहे तो अपने संगठन में पदों की भर्ती के लिए इस डाटा को प्रयोग कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विकल्प चुनना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का डाटा, जो प्रकटीकरण योजना का विकल्प नहीं भरते हैं, वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
18. जिस व्यक्ति ने:
- क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या
- ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह करने का अनुबंध किया है, तो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।
19. **अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य**
- अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसे ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। जो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए चिकित्सा जांच में इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों की ही चिकित्सा जांच की जाएगी।
- टिप्पणी:** दिव्यांग भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा डिमोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन हेतु पर्याप्त माना जाएगा।
20. **दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई :**
- (i) अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी जाती है कि उन्हें किसी भी मामले में प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज या अनुप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी प्रविष्टि में परिवर्तन या किसी प्रकार से हेरफेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए न ही उन्हें हेर फेर किए गए /जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई गलती अथवा विसंगति पाई जाती है, तो इस विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।



- (ii) निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई/3वर्ष तक वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :
- (i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहे इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो ।
  - (ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर ।
  - (iii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर
  - (iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो ।
  - (v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो ।
  - (vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो ।
  - (vii) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है ।
  - (viii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो ।
  - (ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो ।
  - (x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।
  - (xi) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।

**21. पक्षप्रचार:**

किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

**22. आयोग का निर्णय अंतिम :**

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा चयन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

**23. न्यायालय/न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार**

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसका क्षेत्राधिकार उस स्थान जहाँ कर्मचारी चयन आयोग का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है अर्थात् कोलकाता का न्यायालय/न्यायाधिकरण ।

**परिशिष्ट-।**

क्र.सं.	परिशिष्ट सं.	जाति/समुदाय/श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी
1.	परिशिष्ट-I(क)	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश/आवेदन भरने के लिए निर्देश	
2.	परिशिष्ट-I।	अ.जा/अ.ज.जा.	<div>i</div> जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालिका मजिस्ट्रेट। <div>ii</div> मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट <div>iii</div> कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी <div>iv</div> उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
			टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अजजा अभ्यर्थी को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
3.	परिशिष्ट-III	अपिव	<div>i</div> जिला मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त(प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए ) <div>ii</div> मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट <div>iii</div> कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी <div>iv</div> उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
			टिप्पणी: आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अभ्यर्थी के अपिव दर्जे की गणना तिथि के रूप में ली जाएगी और यह समझने के लिए भी कि आवेदक क्रीमी लेयर में नहीं आता है ।
4.	परिशिष्ट-IV	साजीसीई	कार्यालय प्रधान या विभागीय प्रधान
5.	परिशिष्ट- IV (ए)	ईए/सीजीसीई	स्वयं आवेदक
6.	परिशिष्ट-V	भूपूसै	कमान अफसर
7.	परिशिष्ट-V (ए)		स्वयं आवेदक
8.	परिशिष्ट-VI	फार्म-II	चिकित्सा बोर्ड के सदस्य/ अध्यक्ष तथा चिकित्सा अधीक्षक/मु.चि.अ./चिकित्सालय के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
		फार्म-III	
		फार्म-IV	

**आवेदन के पंजीकरण/ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया/ अनुदेश**

1. चयन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को <http://ssconline.nic.in> पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा । अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण करके कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किसी भी चयन पद के लिए आवेदन कर सकता है।
2. अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण की सुविधा वेबसाइट <http://ssconline.nic.in> पर पूरे वर्ष उपलब्ध है।
3. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म/आवेदन पत्र भरने से पहले वेबसाइट <http://ssconline.nic.in> के पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।
4. अनुदेशों को पढ़ने के पश्चात् अभ्यर्थियों को पंजीकरण भाग में जाना चाहिए तथा ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना चाहिए।
5. पंजीकरण भाग में अभ्यर्थियों को स्वयं से संबंधित मूलभूत सूचना भरनी होगी। विवरण जमा करने पर फॉर्म जमा करने से पहले अभ्यर्थी को विवरण की जांच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र भरते समय सभी अपेक्षित सूचना प्रदान करनी चाहिए। अनिवार्य क्षेत्र को तारक चिह्न से अंकित किया गया है।
7. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड वाला पृष्ठ तैयार हो जाएगा। पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड को लिख लें तथा उन्हें सुरक्षित रखें।
8. यह आपका स्थायी पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड होगा जो चयन पदों के आवेदन के लिए अपेक्षित होगा।
9. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर अभ्यर्थी को अपने हाल ही के निर्धारित आकार के रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर ऑपलोड करने होंगे।
10. फोटोग्राफ के फाइल का डिजिटल आकार 4 केबी से ज्यादा तथा 20 केबी से कम होना चाहिए तथा इसका रेजोल्यूशन 100 पिक्सल चौड़ाई का तथा 120 पिक्सल ऊँचाई का होना चाहिए।
11. हस्ताक्षर जेपीजे फॉर्मेट में ऑपलोड करना चाहिए। हस्ताक्षर फाइल का डिजिटल आकार 1 केबी से ज्यादा तथा 12 केबी से कम होना चाहिए तथा इसका रेजोल्यूशन 40 पिक्सल चौड़ाई का तथा 60 पिक्सल ऊँचाई का होना चाहिए।
12. अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर ऑपलोड करने के पश्चात् ही पंजीकरण पूरा होगा।
13. पंजीकरण भाग पूरा करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए।
14. पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी प्रणाली में लॉगइन कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र भर सकते हैं।
15. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापित के अनुदेशों की सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।

16. ऑनलाइन आवेदन (सभी बैंकों के डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) की सुविधा 08.05.2017 से 07.06.2017 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं वह 09.06.2017 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि चालान दिनांक 07.06.2017 को सायं 5.00 बजे से पहले जेनरेट किया गया हो। चालान निकालने की सुविधा केवल दिनांक 07.06.2017 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी।
17. आवेदन भाग में भुगतान का ब्यौरा भरना भी अपेक्षित है।
18. भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान के लिए अभ्यर्थी को आवेदन भाग के पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन निकाले गए चालान का प्रिंट लेना चाहिए तथा भारतीय स्टेट बैंक के देय शाखा में अपेक्षित शुल्क जमा करना चाहिए। उसके बाद प्रणाली में अपने पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड सहित लॉगईन करें तथा निर्धारित तिथि और समय के भीतर विवरण जमा करें।
19. आवेदन पत्र में परिवर्तन/सुधार के लिए किए गए अनुरोध पर किसी भी पररिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
20. फोटोग्राफ/हस्ताक्षर रहित अथवा धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले अथवा किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

### अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

**(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\* .....  
 पुत्र/पुत्री..... निवासी ग्राम/कस्बा\*  
 ..... जिला/संभाग\* ..... राज्य/संघ राज्य  
 क्षेत्र\* ..... के ..... जाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलिखित आदेश के  
 अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.....

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश,  
 1951\*.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951\*.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960  
 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन)  
 अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा  
 यथा संशोधित।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976\* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962 @

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964 @

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967 @

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968 @

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968 @

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970 @

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978 @

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978 @

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989 @

संविधान(अनुसूचित जाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990 @

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991 @

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991 @

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम,2002

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002

संविधान(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी\* .....के  
माता/पिता श्री/श्रीमती.....निवासी  
ग्राम/कस्बा\* .....जिला/संभाग\* .....राज्य/संघ राज्य  
क्षेत्र\* ..... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित  
जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ...  
.....जाति/जनजाति से संबंधित है जो.....  
दिनांक .....द्वारा जारी.....राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित  
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या\* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा\* .....  
..... जिला/संभाग\* .....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....में  
रहता है ।

हस्ताक्षर.....

\*\*पदनाम.....

स्थान.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक.....

\*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

**टिप्पणी:-** यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

**\*\*जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप मंडलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

**टिप्पणी :-** तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि .....

पुत्र/पुत्री ..... ग्राम .....

जिला/संभाग ..... राज्य ..... समुदाय  
से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प  
संख्या.....दिनांक..... \* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है

श्री/श्रीमती/कु..... तथा/या उनका परिवार  
सामान्यतः.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .....  
जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय इ  
ापन सं. 36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 \*\* की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित  
व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:

कार्यालय का मुहर: जिलाधीश या उपायुक्त आदि।

\*-जो प्राधिकारी ये प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं, उन्हें भारत सरकार के उस संकल्प संख्या का विवरण देना होगा  
जिसमें अभ्यर्थी की अपिब जाति उल्लेखित है ।

\*\* - समय समय पर यथा संशोधित।

**टिप्पणी :-** यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की  
धारा 20 में दिया है ।



आयु में छूट चाहने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र(संगठन का पत्र शीर्ष)

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)  
(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -12( ज ) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि \*श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो \_\_\_\_\_ रु. के वेतनमान में \_\_\_\_\_ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं। उन्हें दिनांक----- को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम एवं पदनाम \_\_\_\_\_

कार्यालय की मुहर \_\_\_\_\_

स्थान:

दिनांक:

(\* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के घोषणा सहित सभी आवेदक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -12(ज) देखें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को पहले ही लिखित में सूचित किया है कि मैंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है तथा आवेदन जमा करने की तिथि तक मेरे खिलाफ न तो कोई सतर्कता निकासी लम्बित है अथवा अवेक्षित है।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ :-----

नियुक्ति की तिथि :\_\_\_

वर्तमान पद तथा वेतनमान :\_\_\_

दूरभाष सं./फैक्स/ई-मेल सहित नियोक्ता का नाम व पता :\_\_\_

स्थान तथा दिनांक:

\*आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र  
(संगठन के पत्र शीर्ष पर)  
(कृपया विज्ञप्ति के पैरा 12 (ङ) तथा (च) को देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार  
(नंबर).....(रैंक).....(नाम).....  
.....(दिनांक).....को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की  
विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:

(कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

**भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा**

(कृपया विज्ञप्ति के पैरा 12 (ङ) तथा (च) को देखें)

मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूँ।

मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूँ:

- क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि\_\_
- ख) कार्यमुक्त की तिथि\_\_
- ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि\_\_
- घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर\_\_
- ड.) पुनः नियुक्ति का ब्यौरा, यदि कोई\_\_

(अभ्यर्थी के पूरे हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

**निःशक्तता प्रमाण पत्र**  
(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं नेत्रहीनता के मामले में)  
(नियम 4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाणपत्रसंख्या..... दिनांक.....प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी.....सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री .....  
-----जन्म तिथि -----आयु..... (दि./म./व.) .....पुरुष/महिला-----  
--पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान  
नं.....वार्ड/ गांव/  
गली.....डाकघर.....जिला.....

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

राज्य..... जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है, की सावधानीपूर्वक जांच की है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- नेत्रहीनता का है  
(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में.....निदान किया गया है ।

(क) वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने.....(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में  
.....%(अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में ) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं ।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र  
(बहु विकलांगता के मामले में)  
(नियम 4 देखें)

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी.....सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री .....  
जन्म तिथि .....आयु..... (दि./म./व.)

.....पुरुष/महिला..... पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं.....  
वार्ड/गांव/गली.....  
डाकघर.....जिला.....राज्य.....जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है  
की सावधानीपूर्वक जांच की है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु-विकलांगता का है। निःशक्तता के लिए दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे मार्क करके निम्नलिखित सारणी में संगत निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

कृपया उस निःशक्तता को काट दें जो लागू न हो  
(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगें  
# उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें  
£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान)

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनका/उनकी समग्र शारीरिक क्षति निम्नानुसार है :-  
अंकों में.....प्रतिशत  
शब्दों में .....प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .....वर्ष .....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र ..... तक मान्य रहेगा।

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र  
(प्रारूप II एवं III में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)  
(नियम 4 देखें)

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी.....

-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि -----आयु.....

(दि./म./व.)

.....पुरुष/महिला----- की सावधानीपूर्वक जांच की है।

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि उनका मामला.....निःशक्तता है।  
निःशक्तता के लिए( ब्योरा दिया जाए) दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :-

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उस निःशक्तता को काट दे जो लागू न हो)

(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगें) (# उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें)(£ उदाहरणतः बाएं/ दाएं/दोनों कान)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .....वर्ष .....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र ..... तक मान्य रहेगा।

तारीख

माह

वर्ष

(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगें) (# उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें)(£ उदाहरणतः बाएं/ दाएं/दोनों कान)

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा
--------------------	-------------------	--



--	--	--

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मुहर)

यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी हस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर



**Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances &  
Pensions**

**Staff Selection Commission  
Eastern Region**

**D/o Personnel & Training  
Nizam Palace, 1<sup>st</sup> MSO Building, 8<sup>th</sup> Floor  
234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020  
(Website: [www.sscer.org](http://www.sscer.org))**



**RECRUITMENT NOTICE**

**ADVERTISEMENT NO.ER-01/2017**

**File No. 11/1/2017-Rectt**

**Closing Date: 7<sup>th</sup> JUNE 2017**

**“GOVERNMENT STRIVES TO HAVE A WORK FORCE WHICH  
REFLECTS GENDER BALANCE AND WOMEN CANDIDATES ARE  
ENCOURAGED TO APPLY”**

Applications are invited from eligible candidates with Nationality/Citizenship as indicated under Para-6 of this Notice, for the Selection Posts indicated in Para-4 of this Notice. Only those Applications successfully filled through the Website <http://ssconline.nic.in> and Print out of Online Application along with all the required documents received in the concerned SSC Regional Office within the specified time are accepted. Procedure for Online Submission of Application consists of two stages – (i) Registration Part & (ii) Application Part.

2. Candidates should go through the Recruitment Notice carefully before applying for the post and ensure that they fulfil all the eligibility conditions like Age-Limit/Essential Qualifications (EQs)/ Experience/ Caste/ Category etc. as indicated in this Notice. Candidature of candidates not meeting the eligibility conditions is liable to be cancelled at any stage of the recruitment process without any notice. Candidature of Applicants shall be purely **PROVISIONAL** at all stages of the recruitment process.

3. All information relating to this recruitment right from the status of application upto the nomination of the selected candidates to the User Department including call letters for Computer Based Mode Examination to the provisionally eligible candidates will be available on the website of Staff Selection Commission, Eastern Region i.e. [http:// www.sscer.org](http://www.sscer.org). Candidates are advised to visit the said website frequently for the latest information regarding the recruitment process.

**NOTE: -CANDIDATES ARE ALSO ADVISED TO FILL THEIR CORRECT AND ACTIVE E-MAIL ADDRESSES AND MOBILE NUMBER IN THE ONLINE APPLICATION AS ALL CORRESPONDENCE WILL BE MADE BY THE COMMISSION THROUGH E-MAIL/SMS ONLY.**

4. DETAILS/DESCRIPTION OF POSTS:				
(i)	<b>POST CATEGORY NO.: ER10117</b> <b>[Re-advertisement]</b>			
	A	Name of Post	:	Research Investigator (Forestry)
	B	Classification	:	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial
	C	Vacancy	:	02 (02-SC)
	D	Department	:	M/o Environment, Forest and Climate Change
	E	AGE	:	18- 30 years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions)
	F	Pay Scale	:	₹ 9300/- – ₹34800/-, Grade Pay ₹ 4200 /- (PB-2) (as per 6 <sup>th</sup> CPC)
	G	Essential Qualification(s)	:	(i) Master's Degree in Statistics or Operations Research or Forestry or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) or Mathematics (with Statistics) or Agriculture (with Statistics) or two years' Post-Graduate Diploma in Forestry Management from a recognized Institute/University;
			:	(ii) One year's experience in collection or compilation or analysis of data including data in Agriculture or forestry work.
			:	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.
			:	Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
	H	Desirable Qualification	:	NIL
	I	Initial Place of Posting	:	New Delhi, Lucknow, Bhubaneswar, Ranchi with AISL

	J	Job Requirement	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collection/compilation/analysis of agriculture/Forestry data.</li> <li>2. Examination and Scrutiny of various Project proposals.</li> <li>3. Examination and Analysis of proposals received from Regional centres of the Ministry.</li> <li>4. Examination and Scrutiny of quarterly/annual reports on various projects.</li> <li>5. Release of funds under various schemes.</li> <li>6. Monitoring and Evaluation of various projects.</li> <li>7. Submission of material for various Reports/Returns/Parliament Questions and visit of Sr. Officers.</li> <li>8. Management and Monitoring of functioning of Regional Offices.</li> <li>9. Follow-up action with states/UTs with regard to Forest Conservation Act/Environment Protection Act.</li> <li>10. Processing, implementation and monitoring of bilateral and multilateral Research and Training Projects.</li> <li>11. Coordination of Training Programme of IFS Officers.</li> </ol>
	K	Instruction for PH (PWD) Candidates [whether post is identified SUITABLE/NOT SUITABLE for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible]	:	This post is identified <b>SUITABLE</b> for OH (OA & OL), HH (D & PD) and VH (B & LV) candidates only.
<b>(ii) POST CATEGORY NO.: ER10217</b>				
<b>[Re-advertisement]</b>				
	A	Name of Post	:	Senior Scientific Assistant
	B	Classification	:	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial
	C	Vacancy	:	01 (01-OBC)
	D	Department	:	Central Drugs Laboratory, Kolkata
	E	AGE	:	18- 30 years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions)
	F	Pay Scale	:	₹ 9300/- – ₹34800/-, Grade Pay ₹ 4600 /- (PB-2) (as per 6 <sup>th</sup> CPC)
	G	Essential Qualification(s)	:	Master's Degree in Bacteriology or Microbiology or Biochemistry or Pharmacy or Physiology or Chemistry of a recognized University or equivalent. <div> NOTE: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. </div>
	H	Desirable Qualification	:	NIL
	I	Initial Place of Posting	:	Kolkata with AISL

	J	Job Requirement	:	1. Analysis of various difficult drug samples; 2. Standardization of reference standard of various drugs; 3. Carrying out research work pertaining to quality control of drugs 4. To help the Sectional Head as and when required
	K	Instruction for PH (PWD) Candidates [whether post is identified SUITABLE/NOT SUITABLE for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible]	:	This post is identified <b>SUITABLE</b> for OH (OL) and HH (PD) candidates only.
<b>(iii) POST CATEGORY NO.: ER10317</b>				
<b>[Re-advertisement]</b>				
	A	Name of Post	:	Senior Radio Technician
	B	Classification	:	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial
	C	Vacancy	:	01 (01-ST)
	D	Department	:	M/o Shipping, Directorate of Lighthouse & Lightships, Kolkata
	E	AGE	:	18- 30 years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions)
	F	Pay Scale	:	₹ 9300/- – ₹34800/-, Grade Pay ₹ 4200 /- (PB-2) (as per 6 <sup>th</sup> CPC)
	G	Essential Qualifications	:	Degree in Electronics or Electrical Communication Engineering from a recognized University or equivalent;
				Or,
		(i)		Diploma in Electronics/Electrical Communication or Radio Engineering from a recognized University or equivalent;
		(ii)		3 years' experience in installation/ maintenance of Electrical/Wireless equipment such as Wireless Transmitters, Receivers and Aerial Systems.
		Note 1:		Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.
		Note 2:		The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

	H	Desirable Qualification	:	NIL
	I	Initial Place of Posting	:	Kolkata with AISL
	J	Job Requirement	:	Carryout operational and maintenance duty of DGPS Station.
	K	Instruction for PH (PWD) Candidates [whether post is identified SUITABLE/NOT SUITABLE for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible]	:	This post is identified <b>SUITABLE</b> for OH (OA & OL) and HH (D & PD) candidates only.
(iv)	<b>POST CATEGORY NO.: ER10417</b> <b>[Re-advertisement]</b>			
	A	Name of Post	:	Heraldic Assistant
	B	Classification	:	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted
	C	Vacancy	:	01 (UR-OH)
	D	Department	:	M/o Defence, O/o the Joint Secretary (Training) & Chief Administrative Officer, New Delhi
	E	AGE	:	18-30 years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions)
	F	Pay Scale	:	₹9300/- – ₹34800/-, Grade Pay ₹4200 /- (PB-2) (as per 6 <sup>th</sup> CPC)
	G	Essential Qualification(s)	:	(a) (i) Master's Degree in History from a recognised University or equivalent; and
			:	(ii) Sanskrit as a compulsory or elective subject at Degree level;
			:	OR
			:	(i) Master's Degree in Sanskrit from a recognised University or equivalent; and
			:	(ii) History as a compulsory or elective subject at Degree level; and
			:	(b) Three years research experience relating to Ancient History.
			:	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

				Note 2:	The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
	H	Desirable Qualification	:	NIL	
	I	Initial Place of Posting	:	New Delhi/Delhi with AISL	
	J	Job Requirement	:	To assist the Assistant Director (Heraldry) in his work. To carry out research in History, Culture and Mythology with a view to tracing the Heraldic traditions of the country.	
	K	Instruction for PH (PWD Candidates [whether post is identified SUITABLE/NOT SUITABLE for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible])	:	This post is identified <b>SUITABLE</b> for OH (OL/OA) and HH candidates only.	
(v)	<b>POST CATEGORY NO.: ER10517</b>				
	A	Name of Post	:	Farm Manager	
	B	Classification	:	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	
	C	Vacancy	:	04 (04-OBC)	
	D	Department	:	Central Poultry Development Organization (Eastern Region), M/o Agriculture & Farmers Welfare, Dept. of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Nayapalli, Bhubaneswar-751012	
	E	AGE	:	18-30 years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions)	
	F	Pay Scale	:	₹ 9300/- – ₹34800/-, Grade Pay ₹4200 /- (PB-2) (as per 6 <sup>th</sup> CPC)	
	G	Essential Qualification(s)	:	Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognized University or Institute	
	H	Desirable Qualification	:	Two years’ working experience in poultry farming	
				NOTE 1:	Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified;

				NOTE 2:	The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority or reason to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection. Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
	I	Initial Place of Posting	:	Bhubaneswar with AISL	
	J	Job Requirement	:	Management of poultry flocks of different age groups at the farm including vaccination, de-beaking, wing banding, leg banding, trap nesting etc. Management of various hatchery operations at the farm. Marketing of eggs and birds produced at the farm. Maintenance of proper records of livestock, eggs, hatchery, feed and feed ingredients and other stocks and stores at the farm.	
	K	Instruction for PH (PWD) Candidates [whether post is identified SUITABLE/NOT SUITABLE for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible]	:	This post is identified <b>NOT SUITABLE</b> for PH(PWD) candidates.	
(vi)	POST CATEGORY NO.: ER10617				
	A	Name of Post	:	Scientific Assistant (Mechanical)	
	B	Classification	:	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	
	C	Vacancy	:	03 (02-UR, 01-ST)	
	D	Department	:	National Test House, M/o Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Dept of Consumer Affairs, Kolkata	
	E	AGE	:	18-30 years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions)	
	F	Pay Scale	:	₹ 9300/- – ₹34800/-, Grade Pay ₹4600 /- (PB-2) (as per 6 <sup>th</sup> CPC)	
	G	Essential Qualification(s)	:	Master’s Degree in Physics from a recognized University;	
Or,					
Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognized University or Institution with one year experience in the relevant field.					



	H	Desirable Qualification		Two years' experience in Mechanical testing laboratory from Government or Semi Government or Public Sector Undertakings
	Note 1:	Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.		
	Note 2:	The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
	I	Initial Place of Posting	:	Kolkata/Mumbai/Chennai/Ghaziabad/Guwahati/Jaipur with AISL
	J	Job Requirement	:	Testing and Evaluation of concerned laboratory samples and work in connection with the development of testing methods for these materials, calibration and maintenance of instruments of the concerned laboratory.
	K	Instruction for PH (PWD) Candidates [whether post is identified SUITABLE/NOT SUITABLE for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible]	:	This post is identified <b>NOT SUITABLE</b> for PH(PWD) candidates
(vii)	<b>POST CATEGORY NO.: ER10717</b>			
	A	Name of Post	:	Scientific Assistant (Electrical)
	B	Classification	:	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial
	C	Vacancy	:	04 (02-UR, 01-OBC, 01-SC)
	D	Department	:	National Test House, M/o Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Dept of Consumer Affairs, Kolkata
	E	AGE	:	18-30 years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions)
	F	Pay Scale	:	₹ 9300/- – ₹34800/-, Grade Pay ₹4600 /- (PB-2) (as per 6 <sup>th</sup> CPC)
	G	Essential Qualification(s)	:	Master's Degree in Physics from a recognized University;
			:	Or,
			:	Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electrical Engineering or Electrical and Electronic Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognized University or Institution with one year experience in the relevant field.

	H	Desirable Qualification	:	Two years' experience of advanced Electrical or Electronics Measurements in a laboratory from Government or Semi Government or Public Sector Undertakings.
	Note 1:	Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.		
	Note 2:	The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
	I	Initial Place of Posting	:	Kolkata/Mumbai/Chennai/Ghaziabad/Guwahati/Jaipur with AISL
	J	Job Requirement	:	Testing and Evaluation of concerned laboratory samples and work in connection with the development of testing methods for these materials, calibration and maintenance of instruments of the concerned laboratory.
	K	Instruction for PH (PWD) Candidates [whether post is identified SUITABLE/NOT SUITABLE for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible]	:	This post is identified <b>NOT SUITABLE</b> for PH(PWD) candidates
<b>(viii) POST CATEGORY NO.: ER10817</b>				
	A	Name of Post	:	Scientific Assistant (NDT) [Scientific Assistant (Non-Destructive)]
	B	Classification	:	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial
	C	Vacancy	:	01 (01-UR)
	D	Department	:	National Test House, M/o Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Dept of Consumer Affairs, Kolkata
	E	AGE	:	18-30 years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions)
	F	Pay Scale	:	₹ 9300/- – ₹34800/-, Grade Pay ₹4600 /- (PB-2) (as per 6 <sup>th</sup> CPC)
	G	Essential Qualification(s)	:	Master's Degree in Physics from a recognized University;
				Or, Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electrical Engineering or Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognized University or Institution with one year experience in the relevant field.
	H	Desirable Qualification	:	Two years' experience in Non-Destructive testing laboratory from Government or Semi Government or Public Sector Undertakings

	Note 1:	Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.	
	Note 2:	The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
	I	Initial Place of Posting	: Kolkata/Mumbai/Chennai/Ghaziabad/Guwahati/Jaipur with AISL
	J	Job Requirement	: Testing and Evaluation of concerned laboratory samples and work in connection with the development of testing methods for these materials, calibration and maintenance of instruments of the concerned laboratory.
	K	Instruction for PH (PWD) Candidates [whether post is identified SUITABLE/NOT SUITABLE for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible]	: This post is identified <b>NOT SUITABLE</b> for PH(PWD) candidates
<b>(ix) POST CATEGORY NO.: ER10917</b>			
	A	Name of Post	: Scientific Assistant (Chemical)
	B	Classification	: General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial
	C	Vacancy	: 09 (02-UR, 05-OBC, 02-SC)
	D	Department	: National Test House, M/o Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Dept of Consumer Affairs, Kolkata
	E	AGE	: 18-30 years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions)
	F	Pay Scale	: ₹ 9300/- – ₹34800/-, Grade Pay ₹4600 /- (PB-2) (as per 6 <sup>th</sup> CPC)
	G	Essential Qualification(s)	: Master's Degree in Chemistry or Microbiology from a recognized University;
			Or,
			Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognized University or Institution with one year experience in the relevant field.
	H	Desirable Qualification	: Two years experience in an analytical or chemical testing laboratory from Government or Semi Government or Public Sector Undertakings
	Note 1:	Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.	

	Note 2:	The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
I	Initial Place of Posting	:	Kolkata/Mumbai/Chennai/Ghaziabad/Guwahati/Jaipur with AISL
J	Job Requirement	:	Testing and Evaluation of concerned laboratory samples and work in connection with the development of testing methods for these materials, calibration and maintenance of instructions of the concerned laboratory.
K	Instruction for PH (PWD) Candidates [whether post is identified SUITABLE/NOT SUITABLE for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible]	:	This post is identified <b>SUITABLE</b> for OH (OL) candidates only.
<b>(x) POST CATEGORY NO.: ER11017</b>			
A	Name of Post	:	Handicrafts Promotion Officer
B	Classification	:	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial
C	Vacancy	:	09(05-UR, 02-OBC, 02-SC)
D	Department	:	Office of the Development Commissioner (Handicrafts), M/o Textiles, Govt. of India, New Delhi
E	AGE	:	18-30 years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions)
F	Pay Scale	:	₹ 9300/- – ₹34800/-, Grade Pay ₹4200 /- (PB-2) (as per 6 <sup>th</sup> CPC)
G	Essential Qualification(s)	:	Bachelor's Degree in Design or Fine Arts (Fashion or Textile or Apparel Production) of four years' duration from a recognized University or Institute with one year experience in field of handicrafts or cottage or small scale industry;
			Or,
			Diploma in Fine Arts (Fashion or Textile Design) of three years' duration from a recognized University or Board or Institute plus two years' experience in field of handicrafts or cottage or small scale industry.
H	Desirable Qualification	:	NIL
	Note 1:	The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified;	

	Note 2:	The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
	I	Initial Place of Posting	:	Burdwan (W.B.), Siliguri(W.B.), Sambalpur (Odisha), Bhubaneswar (Odisha), Ranchi (Jharkhand) with AISL
	J	Job Requirement	:	Field work in connection with the development of handicrafts & collection of primary data. Processing of schemes for financial assistance for the development of handicrafts
	K	Instruction for PH (PWD) Candidates [whether post is identified SUITABLE/NOT SUITABLE for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible]	:	This post is identified <b>NOT SUITABLE</b> for PH(PWD) candidates
(xi)	<b>POST CATEGORY NO.: ER11117</b>			
	A	Name of Post	:	Deputy Ranger
	B	Classification	:	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Technical
	C	Vacancy	:	09 (04-UR, 03-OBC, 01-SC, 01-ST)
	D	Department	:	Forest Survey of India, Eastern Zone, M/o Environment, Forest & Climate Change, Dept. of Forest & Wildlife, Kolkata
	E	AGE	:	18-27 years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions)
	F	Pay Scale	:	₹ 5200/- – ₹20200/-, Grade Pay ₹2400/- (PB-1) (as per 6 <sup>th</sup> CPC)
	G	Essential Qualification(s)	:	(i) 12 <sup>th</sup> class pass or equivalent qualification from a recognized Board or University;
			:	(ii) Two years' experience in forest survey or working plan organization or forest resources survey work in State Forest Department
	H	Desirable Qualification		Experience in forest survey or mapping or work related to working plan
	I	Initial Place of Posting		Kolkata with AISL
	J	Job Requirement	:	Compassing, G.P.S. operation and other instruments operation & supervising of different data collection of Forest/Trees Outside Forests (Rural & Urban) inventory work

	K	Instruction for PH (PWD) Candidates [whether post is identified SUITABLE/NOT SUITABLE for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible]	:	This post is identified <b>NOT SUITABLE</b> for PH(PWD) candidates
(xii)	<b>POST CATEGORY NO.: ER11217</b>			
	<b>[Re-advertisement]</b>			
	A	Name of Post	:	Junior Engineer (Quality Assurance)
		Discipline	:	M & E (Metallurgy & Military Explosive)
		Sub-discipline	:	Metallurgy
	B	Classification	:	Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial
	C	Vacancy	:	01 (UR-HH)
	D	Department	:	Directorate General of Quality Assurance, Dept. of Defence Production, M/o Defence
	E	AGE	:	18-30 years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions)
	G	Essential Qualification(s)	:	i. Bachelor's Degree in science with one of the subjects at Graduation level viz. Physics, Chemistry from a recognised University or Diploma in Metallurgical Engineering from a recognised University or State Board of Technical Education.
			:	ii. One year practical experience in Quality Assurance/ Production/ Development/ Laboratory in the field of Metallurgy from a recognised Organisation or Undertaking.
	H	Desirable Qualification	:	Nil
	I	Initial Place of Posting	:	Medak (Telangana), Delhi, Ambajhari(MS), Katani(MP), Rourkela(Odisha), Trichi (TN), Muradnagar(UP), Kanpur(UP), Ichapur(WB), Kolkata(WB) with AISL
	J	Job Requirement	:	1. Proper registration of samples. To assist JTO in all the matters of their responsibilities such as maintenance and upkeep of records.
			:	2. Testing of samples and completing it in specified time frame.
			:	3. Preparation of data sheet/operating instruction for each equipment in consultation with seniors.
			:	4. Maintenance of various equipments/machineries in laboratory and workshop.

	K	Instruction for PH (PWD) Candidates [whether post is identified SUITABLE/NOT SUITABLE for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible]	:	This post is identified <b>SUITABLE</b> for OH (OA, OL) and HH(D, PD) candidates only
--	---	--	---	---

**NOTE-I: THE VACANCIES HAVE BEEN ADVERTISED BY STAFF SELECTION COMMISSION AS PER THE INDENT SUBMITTED BY THE RESPECTIVE INDENTING OFFICES. THE STAFF SELECTION COMMISSION WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR WITHDRAWAL/ALTERATION OF THE VACANCIES BY THE INDENTING OFFICES.**

**NOTE-II: CANDIDATES WHO WISH TO APPLY FOR MORE THAN ONE POST SHOULD APPLY SEPARATELY FOR EACH POST AND PAY THE EXAMINATION FEE FOR EACH POST. THEY MUST ALSO SUBMIT HARD COPY OF APPLICATION FOR EACH POST TO THE REGIONAL OFFICE AS GIVEN IN PARA 8 BELOW**

## **5. ABBREVIATIONS USED:**

SSC: Staff Selection Commission; M/o: Ministry of, D/o: Department of, O/o: Office of, Age: Age-limit, EQ: Essential Qualification, DQ: Desirable Qualification, IP: Initial Posting, AISL: All India Service Liability, JR: Job Requirements, UR: Unreserved, GEN: General, OBC: Other Backward Classes, SC: Scheduled Caste, ST: Scheduled Tribe, ExS: Ex-Serviceman, PH (PWD): Physically Handicapped (Persons with Disabilities), OH: Orthopedically Handicapped, HH: Hearing Handicapped, VH: Visually Handicapped, OA: One arm affected, OL: One leg affected, BL: Both legs affected, PD: Partially Deaf, LV: Low vision, CGCE: Central Government Civilian Employee; NA: Not Applicable; OEA: Other Employed Applicant.

## **6. NATIONALITY/ CITIZENSHIP**

A candidate must either be:

- A citizen of India or
- A subject of Nepal or
- A subject of Bhutan or
- A Tibetan Refugee who came over to India, before the 1<sup>st</sup> January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

6.1. Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall

be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

- 6.2. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the Examination but the offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate issued to him by the Government of India is produced by the candidate.

**7. EXAMINATION FEE, EXEMPTION FROM PAYMENT OF FEE; AND  
MODE OF PAYMENT OF FEE:**

**A. EXAMINATION FEE**

**Rs. 100/- (Rupees Hundred only) through “SBI Net-Banking/Credit Cards/Debit Cards of all Banks” or through SBI Challan.**

**Fee paid through any other mode will NOT be accepted. Fee once paid will not be refunded under any circumstances. Fee should be paid separately for each category of post applied.**



**B. EXEMPTION FROM PAYMENT OF FEE:**

All Women candidates and candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Physically Handicapped and Ex-Servicemen eligible for reservation, are exempted from paying application fee, as per extant government orders.

**8. HOW TO APPLY ONLINE AND MAKE PAYMENT:**

- (i) **CANDIDATES WILL HAVE TO APPLY FOR EACH CATEGORY OF POST SEPARATELY AND PAY FEE FOR EACH CATEGORY.**
- (ii) **CANDIDATE MAY NOTE THAT ONLY ONLINE APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED AT <http://ssconline.nic.in> Applications received through any other mode would be summarily rejected.**
- (iii) **Candidates should apply only once for any post. IN CASE OF MULTIPLE APPLICATIONS FOR ANY ONE POST, ALL THE APPLICATIONS WILL BE REJECTED SUMMARILY.**
- (iv) **Procedure for filing online Applications is given in Appendix – I (A).**
- (v) After filling up the Application Form Online and after making payment of Examination Fee, candidate should take a print out of the Application Form, sign the same, affix a copy of the same photograph used for filling up online application and attach self-attested copies of Certificates/documents in support of age, Essential Qualifications, Experience, where it is prescribed as Essential Qualification, proof of Caste/Category [SC/ST/OBC/PH(PWD)/EXS – in the format as given in the Notice] issued by the Competent Authority and send the same to the Regional Director at the address mentioned below so as to reach the Regional Office WITHIN 10 (TEN) DAYS FROM THE CLOSING DATE.

**The Regional Director (ER)  
Staff Selection Commission  
Eastern Region  
Nizam Palace, 1<sup>st</sup> MSO Building, 8<sup>th</sup> Floor  
234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020**

- (vi) The information furnished by the candidates in their applications will be verified by the Commission with reference to the in original documents after the Computer Based Mode Examination. During verification of documents, if it is found that any information furnished by the candidate in the application is wrong, his/her candidature will be rejected forthwith. No appeal or representation against rejection of such candidature will be entertained. The candidates should ensure that they have furnished correct information in the application form.
- (vii) **IMPORTANT : CANDIDATES ARE ADVISED TO FILL THEIR CORRECT AND ACTIVE E-MAIL ADDRESSES AND MOBILE NUMBER IN THE ONLINE APPLICATION AS ALL CORRESPONDENCE WILL BE MADE BY THE COMMISSION**

**9. CLOSING DATE FOR FILLING UP ONLINE APPLICATION PART IS 07.06.2017 (05.00 P.M). CLOSING DATE FOR MAKING ONLINE PAYMENT IS 07.06.2017 (05.00 P.M).**

**10. CRUCIAL DATE FOR ESSENTIAL QUALIFICATIONS (EQ) & AGE LIMIT:**

- i. Essential Qualifications (EQs) & Age Limit for each Post are mentioned in Para - 4 of this Notice.
- ii. The Crucial Date for determining the possession of '**AGE AND ESSENTIAL QUALIFICATION (EQs)/EXPERIENCE**' will be the closing date for filling up Registration Part/Application part of the application i.e. 07.06.2017.
- iii. Before applying for the post, the candidates must ensure that they possess the **ESSENTIAL QUALIFICATIONS including Experience wherever it is prescribed as Essential Qualification and also meet the Age Limit** as on the crucial date mentioned in Para 10(ii) above.
- iv. For posts where **EXPERIENCE** in a particular field/discipline for a specified period has been indicated as an **ESSENTIAL QUALIFICATION**, the applicants should submit self attested copy of **CERTIFICATE** in support of their claim of possession of Experience in that field/discipline from the **Competent Authority along with the print out of the application, failing which their application shall be rejected.**
- v. If candidates claim that their Educational Qualifications are **EQUIVALENT** to the prescribed Essential Qualifications, it is the responsibility of the candidates to submit the necessary Documents/Certificates (Order/Letter with Number & Date) in support of equivalence, issued by the Government of India or by the Competent Authority from which they obtained the Educational Qualification, failing which their application shall be rejected.
- vi. In respect of Post(s) requiring proficiency in the relevant language as an essential qualification the applicant must have studied that language up to Matriculation level and in case the relevant language is not taught as a subject in Matriculation, the said language must be the mother-tongue of the applicant.

**NOTE:** As per Ministry of Human Resources Development, the Degree obtained through open Universities/Distance Education Mode needs to be recognized by Distance Education Council, GOI. Accordingly, unless such Degrees are recognized for the relevant period when the candidates acquired the qualification, they will not be accepted for the purpose of Educational Qualification.

**11. AGE-LIMIT AND RELAXATION ON UPPER AGE-LIMIT:  
AGE LIMIT IS MENTIONED IN PARA-4 AGAINST EACH CATEGORY OF POST.**

**A. PROOF OF AGE**

The Date of Birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate will be accepted by the Commission for determining the AGE and no subsequent request for change will be considered or granted.

**B. RELAXATION IN UPPER AGE-LIMIT**

Relaxation in upper Age-limit admissible to eligible categories of applicants is given below:

The Relaxation in upper Age-limit is admissible only when the applicants claim the same at **Column No. 12** of the online Application Form and also properly fill the CATEGORY CODE at **Column No.12.1** of the online Application Form.

The 'Category CODES', 'CATEGORY' and '**Permissible Age Relaxation beyond the Upper age limit as mentioned at Para-10 of this Notice**' are given below:-

Category-Codes for claiming Age Relaxation as on the date of reckoning: <b>Code No.</b>	<b>CATEGORY</b>	<b>Permissible Age Relaxation beyond the Upper age limit</b>
<b>For Group-'B' &amp; Group-'C' Posts</b>		
01	SC	5 years
02	ST	5 years
03	OBC	3 years
04	PWD	10 years
05	PWD (OBC)	13 years
06	PWD(SC)	15 years
07	PWD(ST)	15 years
08	Ex-Servicemen (Unreserved / General)	03 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on the closing date for receipt of application.
09	Ex-Servicemen (OBC)	06 years (3 years+3 years) after deduction of the Military service rendered from the actual age as on the closing date for receipt of application.
10	Ex-Servicemen (SC)	08 years (3 years+5 years) after deduction of the Military service rendered from the actual age as on the closing date for receipt of application.
11	Ex-Servicemen (ST)	08 years (3 years+5 years) after deduction of the Military service rendered from the actual age as on the closing date for receipt of application.

<b>For Group 'B' Posts</b>		
12	Central Government Civilian Employees (Unreserved / General) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt of application.	05 years
13	Central Government Civilian Employees (OBC) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt of application.	08 (5+3) years
14.	Central Government Civilian Employees (SC) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt of application.	10 (5+5) years
15	Central Government Civilian Employees (ST) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt of application	10 (5+5) years
<b>For Group 'C' Posts</b>		
16.	Central Government Civilian Employees (Unreserved / General) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date	Upto 40 years of age
17	Central Government Civilian Employees (OBC) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date	Upto 43 years of age
18	Central Government Civilian Employees (SC) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date	Upto 45 years of age
19	Central Government Civilian Employees (ST) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date	Upto 45 years of age
<b>For Group 'B' &amp; Group 'C' Posts.</b>		
20	Candidates who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir from 01-01-1980 to 31-12-1989 (Unreserved/General)	5 years
21	Candidates who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir from 01-01-1980 to 31-12-1989 (OBC)	8 years
22	Candidates who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir from 01-01-1980 to 31-12-1989 (SC)	10 years
23	Candidates who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir from 01-01-1980 to 31-12-1989 (ST)	10 years
<b>For Group 'B' &amp; Group 'C' Posts.</b>		
24	Widows/Divorced Women/Women judicially separated and who are not remarried (Unreserved/ General)	Upto 35 years of age
25	Widows/Divorced Women/Women judicially separated and who are not remarried (OBC)	Upto 38 years of age

26	Widows/Divorced Women/Women judicially separated and who are not remarried (SC)	Upto 40 years of age
27	Widows/Divorced Women/Women judicially separated and who are not remarried (ST)	Upto 40 years of age
28	Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof (General/ Unreserved)	5 years
29	Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof (OBC)	8 (5+3) years
30	Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof (SC)	10 (5+5) years
31	Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof (ST)	10 (5+5) years
32	Others	As per Government of India's Orders issued from time to time.

**NOTE 1:** The age relaxation for reserved category applicants is admissible only in the case of vacancies reserved for such categories. The reserved category applicants, who apply against posts meant for UR category, are not entitled to get age relaxation.

**NOTE 2:** Applicants shall check their eligibility for seeking relaxation in Upper Age Limit carefully. If eligible, they are required to fill the correct Age Relaxation Code as applicable to them. In case of filling up of wrong Age Relaxation Code by the applicant in the Application Form, age relaxation allowed at the application stage will be withdrawn and his/her application will be rejected on account of not falling under the Age Limit prescribed for the particular Post applied for.

## **12. CONDITIONS ON SEEKING FEE CONCESSION, AGE-RELAXATION, RESERVATION, ETC.**

### **A. FOR SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES (SC/ST) APPLICANTS**

- i. SC/ST applicants seeking **FEE CONCESSION, AGE-RELAXATION, RESERVATION** etc. shall invariably submit, along with the print out of their Application Forms, the requisite Certificate as per **FORMAT (Appendix-II)** of this Notice) from **COMPETENT AUTHORITY (APPENDIX-I)** of this Notice) certifying their Sub-Castes/Communities are approved by the Government of India under (SC & ST Category) on or before the closing date of receipt of applications otherwise their claims for fee concession, age-relaxation, reservation etc. shall not be considered.

### **B. FOR OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) APPLICANTS**

- i. OBC applicants not covered under the Creamy Layer, as per the Standing Instructions of the Government of India as amended from time to time, seeking **AGE-RELAXATION, RESERVATION** etc. **shall invariably submit, along with the print out of their Application Forms**, the requisite Certificate as per **FORMAT (Appendix-III of this Notice)**. A person seeking appointment on the basis of reservation to OBCs must ensure that he/she possesses the caste/ community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date. The crucial date for this purpose

will be as the closing date for receipt of applications. Candidates may also note that in respect of the above, their candidature will remain provisional till the veracity of the concerned document is verified by the **Appointing Authority**. Candidates are warned that they may be debarred from the examination conducted by the Commission in case they fraudulently claim SC/ST/OBC/ExS/PH (PWD) status.

- ii. **The closing date for receipt of application as mentioned at Para-9 of the Notice will be treated as the date of reckoning for Non-Creamy Layer status of applicants under the OBC category.**

**C. FOR PHYSICALLY HANDICAPPED (PH) (PERSONS WITH DISABILITIES) [OH / HH/ VH] APPLICANTS:**

**Whether the post is identified suitable for Physically Handicapped persons or not and the nature of disability admissible is indicated against each category of post. Physically Handicapped Candidates should apply only for posts for which they are eligible.**

- i. Only the PH (PWD) persons having 40% or above disability are eligible for **FEE CONCESSION, AGE-RELAXATION, RESERVATION etc.**
- ii. They shall invariably submit, along with the print out of their Application Forms, the requisite Certificate as per FORMAT **[Appendix-VI (Form-II)/(Form-III)/(Form-IV)] of the Notice**, otherwise, their claim for PH (PWD) status will not be entertained.

**D. SPECIAL INSTRUCTION FOR THE PH CANDIDATES:**

- a. Persons with visual disability of less than forty percent will not be treated as Visually Handicapped candidates. One eyed candidates and partially blind candidates who are able to read the normal Question Paper set for all the candidates with or without magnifying glass and who wish to write/indicate the answer with the help of Magnifying Glass will be allowed to use the Magnifying Glass in the Examination Hall and will not be entitled to a Scribe. Such candidates will have to bring their own Magnifying Glass to the Examination Hall. Visually Handicapped (VH) candidates with visual disabilities of **forty percent** and above and candidates suffering from Cerebral Palsy can avail the assistance of a SCRIBE to be provided by the Commission in the Computer Based Mode Examination subject to such requests being made to the Commission while filling up the application form. Candidates suffering from Cerebral Palsy will also be provided with the facility of Scribe and compensatory time at par with VH candidates. Question Papers and Answer Sheets will not be provided in BRAILLE. Visually Handicapped (VH), including blind and partially blind, candidates with visual disability of **forty percent** and above may bring their own TAYLOR FRAME AND BRAILLE SLATE WITH PAPER for solving Arithmetical problems. No attendant of VH/Cerebral Palsy candidates will be allowed inside the examination premises.
- b. **Provision of Compensatory Time:** The Visually Handicapped candidates and candidates suffering from Cerebral Palsy will be allowed compensatory Time in the examination, as per the decision of the Commission.

**E. SPECIAL INSTRUCTIONS FOR THE EX-SERVICEMEN APPLICANTS:**

- (i) EXS applicants seeking for **FEE CONCESSION, AGE-RELAXATION, RESERVATION** etc. shall invariably submit along with the printout of their Application Forms, the requisite Certificate as per FORMAT (**Appendix-V** of this Notice) from COMPETENT AUTHORITY (APPENDIX-I of this Notice) and also submit a Declaration as per FORMAT [**Appendix-V(A)** of this Notice] otherwise their claims for fee concession, age-relaxation, reservation etc. shall not be considered.
- (ii) For any serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as EXS for the purpose of securing the benefits of reservation etc.; he/she must have already acquired, at the relevant time of submitting his/her application for Post/Service, the status of EXS and/or is in a position to establish his/her acquired entitlement by documentary evidence from the COMPETENT AUTHORITY that he/she would complete specified term of engagement with the Armed Forces within the stipulated period of ONE YEAR from the closing date of receipt of applications as stipulated at Para-9 of this Notice, or otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

**F. EX-SERVICEMAN:** An Ex-Serviceman means a person

- i. who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy, Air Force of the Indian Union, and
  - a. who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his/her pension; or
  - b. who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service/circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or
  - c. who has been released from such service as a result of reduction in Establishment;
- OR
- ii. who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army, namely pension holders for continuous embodied service or broken spells of qualifying service;
- OR
- iii. Personnel of Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service with pension, or are released from the Army Postal Service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability pension;
- OR
- iv. Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14<sup>th</sup> April, 1987;

OR

- v. Gallantry award winners of the Armed Forces including personnel of Territorial Army;

OR

- vi. Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension.

**G.** The period of 'Call up Service' of an EXS in the Armed forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of age relaxation, as per rules.

- i) A Matriculate Ex-Serviceman (includes an Ex-Serviceman, who has obtained the Indian Army Special Certificate of education or corresponding certificate in the Navy or the Air Force), who has put in not less than 15 years of service on the closing date of receipt of applications as stipulated at **Para-9** of this Notice with Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the Group 'C'. Posts. Thus, those Non-Graduate Ex-Servicemen who have not completed 15 years of service as on the closing date of receipt of applications as stipulated at Para-8 of this Notice are not be treated as a deemed graduate applicant.

- ii) As per Department of Personnel & Training's O.M. No. 36034/6/90-Estt-SCT Dated 24.4.92, such EXS applicants who have already secured employment under the Central Govt. in civil side after availing of the benefit given to them as EXS for their re-employment, are eligible for age-relaxation prescribed for EXS for securing another employment in a higher grade, but will not be eligible for the benefit for reservation for the EXS for securing another employment in a higher grade. They will also not be eligible for fee concession admissible to EXS. Such EXS would have to pay the requisite fee for this recruitment.

However, as per the Department of Personnel & Training's O.M. No. 36034/1/2014-Estt- (Res.) dated 14.08.2014, the Govt. of India has now decided that if an ex-serviceman applies for various vacancies before joining any civil employment, he/she can avail of the benefit of reservation as ex-servicemen for any subsequent employment. However, to avail of this benefit, an ex-serviceman as soon as he/she joins any civil employment should give self-declaration/undertaking to the concerned employer about the date-wise details of application for various vacancies for which he/she had applied for before joining the initial civil employment. Further, this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and wherever reservation is applicable to the ex- servicemen.

- iii) Service Clerks in the last year of their COLOUR SERVICE are not exempted from payment of fee.

#### **H. INSTRUCTIONS FOR CENTRAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYEES (CGCE) APPLICANTS**

- i. Central Govt. Civilian Employees should have rendered not less than 3



years continuous service on a regular basis (and not on ad hoc basis) as on the closing date of receipt of applications as mentioned at Para-9 of the Notice and should remain in Central Government Service holding civil post in any Department/Offices of Government of India till the candidate receives Offer of Appointment from the Office/Department where the candidate gets finally recommended for appointment.

- ii. For claiming the benefit of age relaxation they shall invariably submit along with the printout of their Application Forms, the requisite Certificate as per FORMAT (**Appendix-IV** of this Notice) from the COMPETENT AUTHORITY (**APPENDIX-I** of this Notice) and also submit a Declaration [**Appendix-IV(A)** of this Notice] otherwise their claims for age-relaxation shall not be considered.
- iii. Central Government Civilian Employees applying for any post shall invariably submit along with the print out of their Application Forms, a Declaration [Appendix-IV (A) of this Notice] that they have intimated their Office and also they would be in a position to furnish NO OBJECTION CERTIFICATE from their EMPLOYER at the time of **VERIFICATION OF DOCUMENTS**, failing which their candidature is liable to be cancelled at that very stage or at any stage of recruitment process.

**Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing in the examination, their applications shall be *rejected and candidature shall be cancelled*.**

### **13. DOCUMENTS VERIFICATION:**

- (a) Applicants must submit **Self Attested legible Copies** of all their Certificates/Documents, along with the print out of their Applications, in support of the information given in their Application Forms about their Educational Qualifications; Experiences; Percentage of Marks obtained; Proof of Age; Proof of Category [SC/ST/OBC/PH (PWD)/ESX – in the format as given in the Notice] from the Competent Authorities, otherwise their candidature is liable to be rejected summarily or at any stage of the recruitment process.
- (b) They shall be in a position to produce all the ORIGINAL CERTIFICATES/DOCUMENTS in support of the information given in their Application Forms at the time of **VERIFICATION OF DOCUMENTS after the Computer Based Mode Examination**, failing which their candidature is liable to be cancelled at that very stage or at any subsequent stage.
- (c) **Candidates are warned that they may be permanently debarred from the examinations conducted by the Commission in case they fraudulently claim SC/ST/OBC/PH(PWD)/ExS/C.G.C.E. Status or submit false Certificates/Documents/Mark Sheets claiming reservation / age relaxation admissible to these categories or in support of Essential Qualification/Experience/Age-proof.**

### **14. REASONS FOR REJECTION/CANCELLATION OF APPLICATION:**

**APPLICATIONS / CANDIDATURE OF APPLICANTS ARE LIABLE TO BE CANCELLED/REJECTED SUMMARILY OR AT ANY STAGE OF THE RECRUITMENT PROCESS IN THE EVENT OF ALL OR ANY OF THE FOLLOWING:**

- i. Applications being incomplete.
- ii. Any variation in the Signatures.  
[All the **SIGNATUREs** (in **FULL NOT IN SHORT**) done on the Print out of the Application Form and also on other Documents must be THE same.]
- iii. Application without CLEAR and LEGIBLE PHOTOGRAPH.
- iv. Non-payment of Examination Fees, if not otherwise exempted.
- v. Fee not paid as per instructions.
- vi. Under aged/over aged candidates.
- vii. Non forwarding of **Self Attested legible Copies** of all the relevant Certificates/Documents issued by the competent authority, along with the print out of Application Forms, in support of the information given in their Application Forms about their Educational Qualifications; Experiences; Percentage of Marks obtained; Proof of Age; Proof of Category [SC/ST/OBC/PH(PWD)/ESX].
- viii. Not having the requisite Educational Qualification/Experience/Category Status as on the closing date.
- ix. Incorrect information or misrepresentation or suppression of material facts.
- x. Non-receipt / Late receipt of the printout of the Application Form along with self-attested copies of the relevant documents.
- xi. For carrying mobile phones / accessories in the Examination premises/Hall.
- xii. Any other irregularity.
- xiii. Non-production of Original Certificates at the time of Verification of Documents

**Note: I.** CANDIDATES ARE NOT ALLOWED TO BRING MOBILE PHONES/ANY OTHER COMMUNICATION DEVICES INSIDE THE EXAMINATION PREMISES/HALL AND ANY INFRINGEMENT OF THESE INSTRUCTIONS WILL ENTAIL DEBARMENT FROM SSC'S FUTURE EXAMINATIONS WITHOUT PREJUDICE TO INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST THE CANDIDATES.

**Note II.** THE CANDIDATE SHOULD NOT BRING ANY ARTICLE OTHER THAN THOSE SPECIFIED ABOVE, SUCH AS BOOKS, NOTES AND LOOSE SHEETS, MOBILES AND ANY OTHER ELECTRONIC GADGGETS ETC. INTO THE EXAMINATION HALL.

**15. SELECTION PROCEDURES:**

- (a) The Government has dispensed with Interviews for Junior Level Posts. Accordingly, recruitment to Selection Posts will be made through Written Examination in Computer Based Mode consisting of Objective Type Multiple Choice Questions.
- (b) Candidates will be shortlisted for Computer Based Examination based on the percentage of marks in Essential Qualifications as indicated by them in their

application. **Candidates will be shortlisted in the ratio of 1:50, i.e. 50 candidates for every vacancy**, subject to availability of sufficient number of eligible candidates. Candidates will be shortlisted by applying suitable cut off in the percentage of marks, in multiples of five. The number of candidates shortlisted may be slightly more or less due to the criteria of applying cut off in multiples of five.

- (c) For the purpose of shortlisting of candidates for Computer Based Examination, the Commission will follow the yardstick adopted by the University/Institution and take into account the percentage of marks as indicated in the Final Year Marks Statement. The Commission will not take the responsibility of working out the percentage of marks by adding up the marks secured by the candidates in different subjects/each year of Graduation and instead take into account the percentage of marks / CGPA as indicated in the Final Year Marks Statement.
- (d) Where the Merit of the candidate is indicated in the Final Year Marks Statement in CGPA without indicating the corresponding percentage of marks, the Commission will follow the criteria indicated by the University/Institution in the Certificate, if any, for arriving at the corresponding percentage. In all other cases, the Commission will apply the conversion formula of CGPA (as indicated in the Final Year Marks Statement) multiplied by (x) 9.5.
- (e) The criteria followed by the Commission in shortlisting candidates will be final. No appeal or representation will be entertained against such Shortlisting criteria.
- (f) The information furnished by the candidates in their applications will be verified by the Commission with reference to their original documents after the Computer Based Mode Examination. During verification of documents, if it is found that any information furnished by the candidate in the application is wrong, his/her candidature will be rejected forthwith. No appeal or representation against such rejection of candidature will be entertained. The candidates should ensure that they have furnished correct information in the application form.

#### 16. **SCHEME OF EXAMINATION:-**

<i>Subject</i>	<i>No. of Question</i>	<i>Maximum Marks</i>	<i>Total Duration/Timing</i>
----------------	------------------------	----------------------	------------------------------

General Intelligence	25 questions	50	60 Minutes (Total)  For VH/OH (afflicted by Cerebral Palsy and OH with deformity in writing hand (Pl. see Para 12 (c) & (D) of notice).-80 Minutes
English Language (Basic Knowledge)	25 questions	50	
Quantitative Aptitude (Basic Arithmetic Skill)	25 questions	50	
General Awareness	25 questions	50	

It will be Computer Based Mode of Examinations consisting of Objective/Multiple Choice Questions, separately for posts with minimum Educational Qualification of Matriculation, Higher Secondary and Graduation and above levels. The details of subjects for Questions, marks and number of Questions subject-wise are given below:-

The

There will be negative marking of 0.50 marks for each wrong answer.

Answer Keys will be placed on the Commission's website after the Examination. Candidates may go through the Answer Keys corresponding to their Test Form and submit representations, if any within three (3) days after the uploading of the Answer Key, through on-line modality only, on payment of Rs.100/- per answer. Any representation regarding Answer Key received within the time limit fixed by the Commission at the time of uploading of the Answer Key will be scrutinized and the decision of the Commission in this regard will be final.

- Skill Tests like Typing/Data Entry/Computer Proficiency Test, etc., where prescribed in the Essential Qualification, will be conducted, which will be of a qualifying nature.
- Final Merit List will be drawn on the basis of performance in Computer Based Mode Examination.**
- Resolution of TIE CASES.**

In case two or more candidates secure same marks in the Computer Based Mode Examination, the tie will be resolved by the following procedure:

- On the basis of date of birth with the older candidate being placed higher in merit.
- Alphabetical Order of first names of the candidates.

**IMPORTANT NOTE:** Computer Based Examination for Selection Posts will be held only in selected Cities/Centres and the Commission reserves the right to call candidates to any of the identified Centres for the Examination. The Commission's decision regarding allotment of Examination Centre shall be final and no request/appeal will be entertained for change of Centre.

#### **RECOMMENDATION FOR APPOINTMENT**

- The Commission will have the full discretion to fix separate minimum qualifying marks in Computer Based Mode Multiple Choice Examination/Skill Test, wherever applicable, for each category of candidates [viz. SC/ST/OBC/PH(PWD)/ExS/General (UR)].

- ii. After the Examination and Skill Test, wherever applicable, the Commission will draw up the Merit List, on the basis of the marks obtained by the candidates in the Computer Based Mode Examination. The Commission has prescribed minimum qualifying cut-off marks in the Computer Based Mode Examination for different categories of candidates. Based on the position in the Merit List, candidates equal to the number of vacancies advertised will be recommended for appointment, subject to their obtaining the minimum qualifying cut-off marks prescribed by the Commission for different categories of candidates.
- iii. SC, ST and OBC candidates, who are selected on their own merit without relaxed standards (i.e. relaxation in age limit and short listing criteria), will not be adjusted against the reserved share of vacancies. Such SC, ST and OBC candidates will be adjusted against the general/unreserved vacancies as per their position in the overall Merit List. The reserved vacancies, if any advertised, will be filled up separately from amongst the eligible SC, ST and OBC candidates on relaxed standards fixed for respective category.
- iv. A PH (PWD) candidate who meets the standards fixed for candidates of his/her respective category without availing relaxation in selection and in short listing criteria fixed for such categories, can be recommended against an unreserved vacancy, provided the post is identified suitable for persons with that particular category of disability.
- v. An Ex-Serviceman or PH (PWD) category candidate who qualifies on the basis of relaxed standards will be considered against vacancies reserved for them only.
- vi. Insofar as cases of Ex- Serviceman/PH candidates are concerned, age relaxation is permissible against the reserved or unreserved posts and such exemption cannot be termed as relaxed standards in regard to age.
- vii. Success in the examination confers no right of appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry/verification of documents, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service/post.

**17. In pursuance of the Government's initiative of increasing access of the unemployed to job opportunities, the Regional Offices of the Commission will upload on their websites, the details of the non-selected candidates applied for different posts, who meet the minimum qualifying cut off marks prescribed for different categories of candidates, along with the marks secured by them in the qualifying Examination. The objective is that other private/public agencies, if they so desire, can use the data for making recruitment to posts in their organisations. For this purpose, the candidates will have to exercise their option in the online application form. Data of candidates who opt out of the disclosure scheme would not be placed on the website.**

## **18. NO PERSON**

- a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;  
or

- b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the service, Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

## **19. GOOD MENTAL AND BODILY HEALTH OF CANDIDATE**

A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his/her duties as an Officer of the service. A candidate who, after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

**Note :** In the case of the disabled Ex-Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

## **20. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT**

- (i) Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information while filling in the application form. Candidates are also warned that they should in no case attempt to alter or otherwise tamper with any entry in a document or the attested certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy, an explanation regarding this discrepancy should be submitted.
- (ii) Without prejudice to criminal action/debarment upto 3 years from Commission's examination wherever necessary, candidature will be summarily cancelled at any stage of the recruitment in respect of candidates found to have indulged in any of the following:-
- i. In possession of mobile phone and/or accessories and other electronic gadgets within the premises of the examination centres, whether in use or in switched off mode and on person or otherwise.
  - ii. Involved in malpractices.
  - iii. Using unfair means in the examination hall.
  - iv. Obtaining support for his / her candidature by any means.
  - v. Impersonate/ Procuring impersonation by any person.
  - vi. Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with.
  - vii. Making statements which are incorrect or false or suppressing material information.
  - viii. Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the examination.
  - ix. Misbehaving in any other manner in the examination hall with the Supervisor, Invigilator or Commission's representatives.
  - x. Taking away the Answer Sheet with him/her from the examination hall, or passing it on to unauthorized persons during the conduct of the Examination.
  - xi. Intimidating or causing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of examination.

## **21. CANVASSING**

Canvassing in any form will disqualify the applicant.

## **22. COMMISSION'S DECISION FINAL**

The decision of the Commission in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for false information, mode of selection, conduct of examination(s), allotment of examination centres and selection will be final and binding on the candidates and no enquiry/correspondence will be entertained in this regard.

## **23. JURISDICTION OF COURTS/TRIBUNALS**

ANY DISPUTE IN REGARD TO THIS RECRUITMENT WILL BE SUBJECT TO COURTS/TRIBUNALS HAVING JURISDICTION OVER THE PLACE OF THE EASTERN REGIONAL OFFICE OF THE STAFF SELECTION COMMISSION  
i.e. THE COURTS / TRIBUNALS AT KOLKATA.

Sl No.	Appendix No.		Caste/ Community/ Category/		Competent Authority
1.	APPENDIX-I(A)		Instruction for Filling up online Application Form / Instructions For Filling up the Application		
2.	APPENDIX-II		SC/ST	i.	District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/ Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/ Dy. Collector/1 <sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/ Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
				ii.	Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
				iii.	Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
				iv.	Sub-Divisional Officers of the area where the applicant and or his family normally resides.
			Note:		ST applicants belonging to Tamil Nadu State should submit Caste Certificate only from the REVENUE DIVISIONAL OFFICER.
3.	APPENDIX-III		OBC	i.	District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Dy. Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/Ist Class Stipendary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
				ii.	Chief Presidency Magistrate /Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
				iii.	Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
				iv.	Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.
				Note:	
4.	APPENDIX-IV		CGCE	Head of Office or Head of Department	
5.	APPENDIX-IV(A)		EA/ CGCE	Applicants themselves	
6.	APPENDIX-V		EXS	Commanding Officer	
7.	APPENDIX-V(A)			Applicants themselves	
8.	APPENDIX-VI	FORM-II	PWD	Members/Chairperson of Medical Board & Counter signed by the Medical Superintendent/CMO/Head of Hospital	
		FORM-III			
		FORM-IV			



**Procedure/Instructions for Registration/ Online Submission of Application**

1. To apply for Selection Posts, candidates are required to Register themselves on <http://ssconline.nic.in>. Candidates may register once and can apply for any **Selection Posts** advertised by SSC.
2. The Registration facility is available to the candidates throughout the year on website <http://ssconline.nic.in>.
3. Candidates should read the instructions given in the Registration/Online Application Portal <http://ssconline.nic.in>, carefully before filling up the Online Registration Form/ Application Form.
4. After reading the instructions candidates should move to the Registration Part and fill up the online Registration Form.
5. In the Registration Part, candidates will have to fill in basic information relating to them. On submission of details, candidates shall be prompted to check the details and make, corrections, if any, before submitting the Form.
6. Candidate should provide all the required details while filling up the Online Registration/Application Forms. Mandatory fields are marked with \* (asterisk) sign.
7. On submission of the Registration Form, a page with Registration ID and password will appear. Note down the Registration ID and password and keep them safely.
8. This would be your permanent Registration ID & Password which would be required to apply for Selection Posts.
9. After submission of the Registration Form, candidate should upload his/her latest colour photograph of the stipulated size and signature.
10. The digital size of the file of the photographs must be more than 4 kb and less than 20 kb with resolution of 100 pixel width and 120 pixel height.
11. The signature must be uploaded in jpg format. The digital size of the signature file must be more than 1 kb and less than 12 kb with resolution of 40 pixel width by 60 pixel height.
12. The Registration becomes complete only after the photograph and signature are uploaded by the candidate.
13. After completion of the Registration Part the candidates should proceed to fill up the Online Application Form.
14. Candidates already registered earlier can log into the system and proceed to fill up the Application Form.
15. Candidates should read the instructions in the Notice carefully before filling up the Online Application Form.
16. The facility of on-line application (including payment of fees through debit/credit card of all Banks) will be available from 08.05.2017 to 07.06.2017 (5.00 PM). Candidates who wish to make the payment through challan of SBI, may make the payment to designated branches of SBI within the working hours of bank upto 09.06.2017 provided the challan has been generated by them before 5.00 PM of 07.06.2017. The challan generation facility will be available upto 07.06.2017 (05:00 PM) only.
17. Application part also requires filling of payment details,
18. To pay fee through SBI Challan, candidates should take print-out of challan generated online after completion of Application Part and deposit the requisite fee in pay branch of State Bank of India. Thereafter, log into the system with your Registration ID and Password and submit the details within the stipulated date and time.
19. Request for change/correction in the Application Form shall not be entertained under any circumstances.
20. **The application form without photograph/signature or with Blurred photograph/signature or incomplete in any manner will summarily be rejected.**

**FORMAT FOR SC/ST CERTIFICATE**

A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim a Self Attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the District in which his parents (or surviving parents) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education. Wherever photograph is an integral part of the certificate, the Commission would accept only Self Attested photocopies of such certificates and not any other Self Attested or true copy.

**(The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)**

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari\* \_\_\_\_\_ son/daughter of \_\_\_\_\_ Of \_\_\_\_\_ village/town/\* \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ District/Division \_\_\_\_\_ of the State/Union Territory\* \_\_\_\_\_ belongs to the Caste/Tribes \_\_\_\_\_ which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe\* under:-  
 The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 \_\_\_\_\_  
 The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950 \_\_\_\_\_  
 The Constitution (Scheduled Caste) Union Territories order, 1951 \* \_\_\_\_\_ The  
 Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951\* \_\_\_\_\_

As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 \_\_\_\_\_  
 The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976\*. The  
 Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962. The  
 Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@. The  
 Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964@  
 The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 @  
 The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968@  
 The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968 @  
 The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 @  
 The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@  
 The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@  
 The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@  
 The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@  
 The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991 @  
 The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@  
 The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996  
 The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002  
 The Constitution (Scheduled Caste) Orders (Amendment) Act, 2002  
 The Constitution (Scheduled Caste and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002

**%2.** Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes certificate issued to  
 Shri/Shrimati \_\_\_\_\_ Father/mother \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_

Shri/Shrimati/Kumari\* \_\_\_\_\_ who  
of village/town\* \_\_\_\_\_ in District/Division\* \_\_\_\_\_ of  
the State/Union Territory\* \_\_\_\_\_  
belongs to the \_\_\_\_\_ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled  
Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory\* issued by  
the \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

%3. Shri/Shrimati/Kumari and /or \* his/her family ordinarily reside(s) in  
village/town\* \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ District/Division\*  
\_\_\_\_\_ of the State/Union Territory of \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

\*\* Designation.....

(with Seal of Office)

\* Please delete the words which are not applicable

@ Please quote specific presidential order

% Delete the paragraph which is not applicable.

**NOTE:** The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**\*\* List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificate Certificates:**

- i. District Magistrate / Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner/ Dy. Collector / 1<sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Extra-Assistant Commissioner/ Taluka Magistrate / Executive Magistrate.
- ii. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
- iii. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- iv. Sub-Divisional Officers of the area where the applicant and or his family normally resides.

**Note:- ST applicants belonging to Tamil Nadu State should submit Caste Certificate only from the REVENUE DIVISIONAL OFFICER.**

**(FORMAT OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ Son/ Daughter  
of \_\_\_\_\_ of village/town \_\_\_\_\_ in  
in the \_\_\_\_\_ State/Union Territory  
District/Division \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ belongs to the \_\_\_\_\_ Community which is recognized as a  
backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution  
dated \_\_\_\_\_\*.  
No.

and/or his/her family ordinarily reside(s) in  
Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_  
District/Division of the \_\_\_\_\_  
the \_\_\_\_\_

State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections of (Creamy  
Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel &  
Training OM No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08.09.1993\*\*.

Date \_\_\_\_\_

District Magistrate /  
Deputy Commissioner etc.

Seal of Office

\*- The Authority issuing the Certificate may have to mention the details of Resolution of  
Government of India, in which the Caste of candidate is mentioned as OBC

\*\*\_- As amended from time to time.

Note: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the  
Representation of the People Act, 1950.

**APPENDIX – IV**

**FORMAT OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY CENTRAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYEES (CGCE) SEEKING AGE-RELAXATION (Letter Head of the Organisation)**

(To be filled by the Head of the Office or Department in which the candidate is working).

**[Please see Para-12(H) of the Notice]**

It is certified that \*Shri/Smt./Km. \_\_\_\_\_ is a Central Government Civilian employee holding the post of ----- in the pay scale of ` \_\_\_\_\_ with 3 years regular service in the grade as on \_\_\_\_\_.

Signature \_\_\_\_\_

Name & Designation \_\_\_\_\_

Office seal

Place:

Date :

(\*Please delete the words, which are not applicable.)

\*\*\*\*\*

**APPENDIX-IV(A)**

**DECLARATION TO BE SUBMITTED BY ALL THE EMPLOYED APPLICANTS INCLUDING CGCE DECLARATION**

**[Please see Para- 12(H) of the Notice]**

I declare that I have already informed my Head of Office/Department in writing that I have applied for this examination and no vigilance is either pending or contemplated against me as on the date of submission of application.

I further submit the following information:

Date of Appointment : .....

Holding present Post & Pay Scale : .....

Name & Address of Employer with : .....

Tel. No./FAX/E-mail

Place & Date:

*\*Full Signature of the applicant*

**FORMAT OF CERTIFICATE FOR SERVING DEFENCE PERSONNEL**

**(Letter Head of the Organisation)**

**[Please see Para-12(E) & (F) of the Notice]**

I hereby certify that, according to the information available with me (No.)..... (Rank)  
(Name)..... is due to complete the specified term of his engagement with  
the Armed Forces on the (Date).....

Signature of Commanding Officer

Office Seal:

Place:

Date:

**APPENDIX – V(A)**

**DECLARATION TO BE GIVEN BY THE EXS APPLICANT**

**[Please see Para-12(E) & (F) of the Notice]**

I understand that, if selected on the basis of the recruitment/examination to which the application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the Appointing Authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts rules, 1979, as amended from time to time.

I also understand that I shall not be eligible to be appointed to a vacancy reserved for Ex-S in regard to the recruitment covered by this examination, if I have at any time prior to such appointment, secured any employment on the civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) by availing of the concession of reservation of vacancies admissible to Ex-S.

I further submit the following information:

- a. Date of appointment in Armed Forces :
- b. Date of discharge :
- c. Length of service in Armed Forces :
- d. My last Unit / Corps :

e. **Details of Re-employment, if any.** :

Place & Date:

*\*Full Signature of the applicant*

**DISABILITY CERTIFICATE**  
**(IN CASE OF AMPUTATION OR COMPLETE PERMANENT PARALYSIS**  
**OF LIMBS AND IN CASES OF BLINDNESS)**  
**(See Rule 4)**

<b>(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)</b>	Recent Pass Port size Attested Photograph (Showing face only) of the person with disability	
Certificate No.----- Date:-----		
This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./ Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth _____ (DD/MM/YY) Age _____ years, Male/Female _____ Registration No. _____ permanent resident of _____ Home No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that (A) he/she is a case of: <input type="checkbox"/> locomotor disability <input type="checkbox"/> blindness (Please tick as applicable)  (B) the diagnosis in his/her case is _____  (A) He/She has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent physical impairment/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (to be specified).  2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-		
Nature of Document	Date of Issue	Details of Authority issuing Certificate
Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued.		(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

**DISABILITY CERTIFICATE  
(IN CASE OF MULTIPLE DISABILITIES)  
(See Rule 4)**

<b>(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)</b>	Recent Pass Port size Attested Photograph (Showing face only) of the person with disability			
Certificate No.-----	Date:-----			
This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./ Kum._____ Son/wife/daughter of Shri_____ Date of Birth_____(DD/MM/YY) Age _____ years, Male/Female_____ Registration No._____ permanent resident of Home No._____ Ward/Village/Street_____ Post Office_____ District_____ State_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that :				
(A). He/She is a Case of <b>Multiple Disability</b> . His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines(to be specified) for the disabilities ticked below, and shown against the relevant disability in the table below:				
S. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent Physical impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Low vision	#		
3.	Blindness	Both Eyes		
4.	Hearing impairment	£		
5.	Mental retardation	X		
6.	Mental-illness	X		
(Please strike out the disabilities which are not applicable) (@ e.g. Left/Right/both arms/Legs )(# e.g. Single eye/both eyes)(£ e.g. Left/Right/both ears.)				
(B). In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines ( to be specified) is as follows:- In figures:_____percent In words:-_____percent. 2. This condition is progressive/non progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is: (i). not necessary Or (ii). is recommended/after _____ years_____ months, and therefore this certificate shall be valid till ____/____/____(DD/MM/YY)				
4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-				
Nature of Document	Date Issue	of	Details of Authority issuing Certificate	
5. Signature and Seal of Medical Authority				
<b>Name and Seal of Member</b>	<b>Name and Seal of Member</b>	<b>Name and Seal of Member</b>	<b>Name and Seal of Chairman</b>	
Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued.				



**APPENDIX- VI [FORM-IV]**

**DISABILITY CERTIFICATE**  
**(IN CASES OTHER THAN THOSE MENTIONED IN FORM-II AND FORM-III)**  
**(See Rule 4)**

<b>(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)</b>		Recent Pass Port size Attested Photograph (Showing face only) of the person with disability	
Certificate No.-----		Date:-----	
This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./ Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth _____ (DD/MM/YY) Age _____ years, Male/Female _____ Registration No. _____ permanent resident of Home No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/She is a Case of _____ <b>disability</b> . His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) for the disabilities (to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-			
S. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis  Permanent Physical impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@	
2.	Low vision	#	
3.	Blindness	Both Eyes	
4.	Hearing impairment	£	
5.	Mental retardation	X	
6.	Mental-illness	X	
(Please strike out the disabilities which are not applicable) (@ e.g. Left/Right/both arms/Legs ) (# e.g. Single eye/both eyes) (£ e.g. Left/Right/both ears.) 2. This condition is progressive/non progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is: (i). not necessary Or (ii). is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till ____/____/____ (DD/MM/YY) (@ e.g. Left/Right/both arms/Legs ) (# e.g. Single eye/both eyes) (£ e.g. Left/Right/both ears.)			
4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-			
Nature of Document		Date of Issue	Details of Authority issuing Certificate
(Authorised Signatory of notified Medical Authority) (Name & Seal)			
		<b>(Countersignature and seal of the CMO/Medical Superintendent/Head of Government Hospital, in case the certificates issued by a medical authority who is not a permanent servant (with seal))</b>	
Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued.			
*****			

